राजा → निरंकुश

- विधायिका
- कार्यपालिका
- न्यायपालिका

→ राजतंत्र में इन तीनों शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इसलिए शासक की प्रवृत्ति निरङ्कुश होती है।

(book : The spirit of law)

→ फ्रांसीसी विचारक मॉन्तेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त दिया। अर्थात् शासन की तीनों शक्तियों को पृथक् किया जाना चाहिए।

→ लोकतंत्र के यही 3 स्तम्भ हैं।

लोकतंत्र

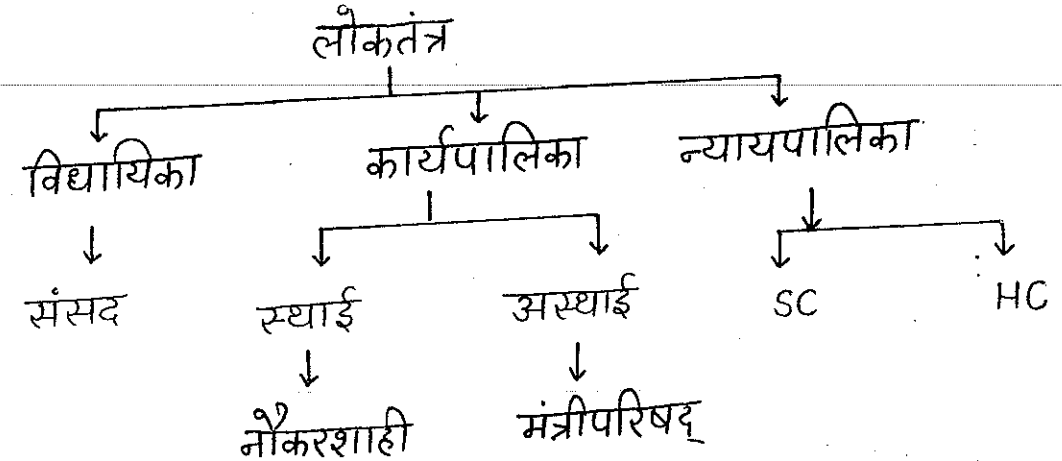

- विधायिका → संसद
- कार्यपालिका
  - स्थाई → नौकरशाही
  - अस्थाई → मंत्रीपरिषद्
- न्यायपालिका
  - SC
  - HC

→ भारत में दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है लेकिन न्यायपालिका एकल है।

→ चूँकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसलिए यहाँ शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का अङ्ग है।

→ अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है।

* वहाँ विधायिका व कार्यपालिका पूर्णतः अलग होते हैं।

* वहाँ विधायिका का सदस्य मंत्री नहीं बन सकता।

संविधान सभा

AD 1895 :- बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की माँग की थी।

AD 1922 : गाँधीजी ने माँग की - "भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए।"

AD 1928 : नेहरू समिति -
इसने संविधान के लिए प्रारूप पेश किया था।

AD 1934 : M.N. रॉय - संविधान सभा की माँग की।

AD 1935 : कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की माँग की।

AD 1938 : J.L. नेहरू - इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की माँग की जो कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित हो।

अगस्त प्रस्ताव - 1940
अंग्रेजों ने संविधान सभा की माँग को स्वीकार किया।

क्रिप्स मिशन - 1942.
इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था।
* प्रान्तीय विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित

1946 - कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया।

→ July - Aug. 1946 संविधान सभा का चुनाव हुआ।

→ संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था।

निर्वाचक मण्डल - प्रान्तीय विधानमण्डलों के निम्न सदन के सदस्य

निर्वाचन पद्धति - आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति
एकल संक्रमणीय मत द्वारा

कुल सदस्य
389

- ब्रिटिश भारत
  296
  - प्रान्त
    292
  - उच्चायुक्त प्रान्त
    5
    1. दिल्ली
    2. अजमेर-मेरवाड़ा
    3. कुर्ग
    5. बलूचिस्तान
- रियासतें
  93 (मनोनीत)

→ प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था।

→ मुस्लिमों तथा सिक्खों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था।

→ मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थीं जबकि सिक्खों के लिए - 5

→ 210 सीटें सामान्य के लिए

→ कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए।

→ मुस्लिमलीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए।

→ मुसलमानों तथा सिक्खों के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के तीन-तीन सदस्य निर्वाचित हुए थे।

→ संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी।

→ गाँधीजी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था

→ जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था।

→ जयपुर – 3
जोधपुर – 2
उदयपुर – 2
बीकानेर – 1
अलवर – 1
कोटा – 1

→ संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया।

9 Dec. 1946 : संविधान सभा की पहली बैठक

* सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
[वह संविधान सभा के वरिष्ठतम (कार्यकाल) सदस्य थे]

11 Dec. 1946 : संविधान सभा की दूसरी बैठक

* Dr. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
* H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
* 16 July 1948 को V.T. कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया।
* B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
* इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया।

13 Dec. 1946 : संविधान सभा की तीसरी बैठक

* पं. JL नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया।
* यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका था।
* इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया था।
* यह संविधान का दर्शन था।
* उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु :-

(i) स्वतंत्र सम्प्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना

(ii) स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना :-

(a) ब्रिटिश भारत के क्षेत्र
(b) भारतीय राज्यों के क्षेत्र
(c) अन्य भारतीय क्षेत्र
(d) ऐसे क्षेत्र/राज्य जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहे।

(iii) भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होंगी।

(iv) सम्प्रभुता व समस्त शासन की शक्तियाँ जनता में निहित होगी [लोकतंत्र]

(v) अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र व पिछड़े क्षेत्रों, सामाजिक रूप से वञ्चित व पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

(vi) नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समक्ष समता
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ, की स्वतंत्रता
व्यवसाय व कार्य
होनी चाहिए।

(vii) विश्व शान्ति व मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना।
(viii) स्वतंत्र भारत में जल, थल व नभ में पूर्ण स्वतंत्रता हो।

→ 22 Jan. 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया।

संविधान सभा की समितियाँ -

① संघीय संविधान समिति
② संघीय शक्ति समिति } JL नेहरू

③ प्रान्तीय संविधान समिति - वल्लभ भाई पटेल

④ मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति - पटेल

उपसमितियाँ : मूल अधिकार उपसमिति - J.B. कृपलानी
अल्पसंख्यक उपसमिति - H.C. मुखर्जी, ईसाई
जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र (असम) उपसमिति - गोपीनाथ बारदोलोई

बाह्य क्षेत्र व आंशिक बाह्य क्षेत्र (असम के अतिरिक्त) उपसमिति – A.V. ठक्कर

⑤ राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति (Ad. hoc) – Dr. राजेंद्र प्रसाद

⑥ प्रारूप समिति – Dr. B.R. अम्बेडकर - Chairman
गोपाल स्वामी आयंगर
कृष्णा स्वामी अय्यर
मोहम्मद सादुल्लाह
K.M. मुंशी
N. माधवराव (B.L. मित्र)
T.T. कृष्णामाचारी (D.P. खेतान)

⑦ Indian state committee – JL नेहरू

* प्रारूप समिति ने संविधान का अन्तिम प्रारूप तैयार किया था तथा इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया।

* संविधान सभा ने 3 पठन में संविधान को पारित किया।

(i) प्रथम पठन (4 – 9 Nov.)

(ii) द्वितीय पठन (15 Nov. 1948 – 17 Oct. 1949)

(iii) तृतीय पठन (14 Nov. 1949 – 26 Nov. 1949)

* 26 Nov. 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अन्तिम रूप से पारित किया।

* इसी दिन संविधान को अङ्गीकृत (adopt), अधिनियमित (Inact) तथा आत्मार्पित किया (given to ourself) गया।

* इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।

* 15 अनुच्छेद 26 Nov. को ही लागू कर दिए गए।
Art. 5, 6, 7, 8, 9 ⇒ नागरिकता

Art. 60 ⇒ राष्ट्रपति शपथ

Art. 324 ⇒ निर्वाचन आयोग

Art. 366, 367 ⇒ निर्वचन (स्पष्टीकरण) → 369-395

Art. 379, 380, 388, 391, 392, 393 ⇒ अस्थायी प्रावधान

→ शेष भारतीय संविधान 26 Jan. 1950 को लागू हुआ।

15 Aug. 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में बदलाव :-

① अब संविधान सभा सम्प्रभु संस्था बन गई थी। क्योंकि अब यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी।

~~②~~ * इस पर किसी ब्रिटिश कानून का दबाव नहीं था।

② अब संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी -

(i) संविधान का निर्माण करना। अर्थात् संविधान सभा की भूमिका।

* इस समय इसकी अध्यक्षता Dr. राजेंद्र प्रसाद करते थे।

(ii) यह विधानमण्डल या संसद के रूप में कार्य करती थी जिसके तहत विधि निर्माण का कार्य करती थी।

* जब यह संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे।

③ अब इसकी सदस्यता (संख्या) 389 से घटकर 299 रह गई थी। क्योंकि शेष सदस्य Pak. का हिस्सा बन गए थे।

299
- ↓ ब्रिटिश भारत — 229
- ↓ रियासत — 70

Q: क्या भारत को राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना चाहिए ? वर्तमान में राष्ट्रमण्डल की क्या प्रासङ्गिकता है ?

संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय :-

① 22 July 1947 - राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई।

② May 1949 - राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को मान्यता दी गई।

③ 24 Jan. 1950 - (i) राष्ट्रगान को मान्यता दी गई।
(ii) राष्ट्रगीत " " " "
(iii) Dr. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।

* इस दिन संविधान सभा की अन्तिम बैठक थी तथा इसी समय संविधान सभा ने स्वयं को भङ्ग कर दिया।
* लेकिन इसके बाद भी यह संसद के रूप में कार्य करती रही (1952 तक) जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हुआ।

संविधान सभा की आलोचनाएँ :-

① संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। इनका निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसलिए संविधान सभा सही मायने में जनता की प्रतिनिधि नहीं थी तथा रियासतों के प्रतिनिधि तो अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित नहीं थे। राजाओं ने इनका मनोनयन किया था। इसलिए वो भी जनता के प्रतिनिधि नहीं थे।

→ उपर्युक्त आलोचना उचित नहीं है। क्योंकि -

(i) तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन लगभग असम्भव था।

(ii) देश में राजनीतिक अस्थिरता थी ।

(iii) राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चरम पर था ।

(iv) साम्प्रदायिक दङ्गे हो रहे थे ।

(v) चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त ढाँचा नहीं था।

(vi) समयाभाव था।

(vii) जनता में अशिक्षा थी तथा राजनीतिक जागरुकता का भी अभाव था।

→ इन सभी स्थितियों के कारण संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया गया ।

→ रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था । क्योंकि -

(i) वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए भी पर्याप्त आधार नहीं था ।

② संविधान सभा की दूसरी आलोचना यह है कि यह एक सम्प्रभु संस्था नहीं थी। क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था।

→ यह आलोचना भी उचित नहीं है। क्योंकि -

(i) 15 Aug. 1947 को संविधान सभा पूरी तरह से सम्प्रभु संस्था बन गई थी।

* अब यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त थी तथा इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि यह अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी।

③ कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया। इसे पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेगा जबकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में संविधान पूरा कर दिया था।

→ यह आलोचना भी तार्किक नहीं है। क्योंकि -

(i) भारत व अमेरिका की परिस्थितियाँ भिन्न थीं।

* भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहुभाषायी, बहुधार्मिक देश है तथा हमारा सामाजिक ढाँचा अत्यधिक जटिल है।

• इसमें अनेक जनजातियाँ तथा सामाजिक रूप से वञ्चित व पिछड़े वर्ग हैं। अतः अल्पसंख्यकों व वञ्चित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने थे।

* जबकि अमेरिका का सामाजिक ढाँचा जटिल था तथा न ही भारत जैसी विविधताएँ थीं।

• हालाङ्कि अमेरिका में भी Red Indians व अफ्रीकी मूल के लोग थे लेकिन उनके हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किया गया।

(ii) अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है।

* इसमें केवल 7 Art. थे।

* जबकि भारतीय संविधान विश्व का अत्यधिक विस्तृत संविधान है। क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

(iii) अमेरिकी संविधान केवल परिसंघ का संविधान है। वहाँ के राज्यों के संविधान अलग हैं जो कालान्तर Federation में बनाए गए।

* जबकि भारतीय संविधान में संघ व राज्यों दोनों के संविधान समाहित हैं।

→ उपर्युक्त कारणों से हमारे संविधाननिर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया।

(4) कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया है तथा अन्य विचारधाराओं की उपेक्षा की गई है।

→ उपर्युक्त आलोचना भी तार्किक नहीं है। क्योंकि –

(i) संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य अधिक होने के बावजूद कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रभावित करने की कोशिश नहीं की।

(ii) अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। unanimously

(iii) संविधान सभा का प्रारूप प्रारूप समिति ने तैयार किया था।

* प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर कांग्रेसी नहीं थें।

* प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे [K.M. मुंशी व T.T. कृष्णामाचारी]

→ इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान के प्रारूप के निर्माण में कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं था।

(iv) भारतीय संविधान में सभी विचारधाराओं को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

* यही कारण है कि भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा की ओर झुका नहीं है।

⑤ कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में अधिकांश सदस्य हिन्दू थे। इसलिए इस पर हिन्दू विचारधारा का प्रभाव है।

→ उपर्युक्त आलोचना भी उचित नहीं है। क्योंकि –

(i) संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा हुआ था।

* चूँकि हिन्दू बहुसंख्यक थे। इसलिए उसी अनुपात में हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन हुआ।

(ii) देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य Pak. में रह गए थे। इसलिए भी हिन्दुओं का अनुपात अधिक हो गया था।

(iii) हिन्दू सदस्य अधिक होने के बावजूद भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है।

(iv) धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है।

(v) धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।

(vi) धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए।

→ उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में किसी एक धर्म का विशेष प्रभाव नहीं है बल्कि 'सर्वधर्म समभाव' है।

⑥ वकील व राजनेता अधिक थे। इसमें किसान व मजदूरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था तथा वकीलों के कारण इसकी भाषा जटिल है।

→ उपर्युक्त आलोचना भी उचित नहीं है। क्योंकि वकील व राजनेता ही संवैधानिक व राजनीतिक मामलों के जानकार होते हैं तथा प्राय: सभी देशों में इनके द्वारा ही संविधान तैयार किया गया है।

(ii) जहाँ तक किसानों व मजदूरों का प्रश्न है तो उनमें राजनीतिक जागरूकता की कमी थी।

(iii) इसके बावजूद संविधान में उनके हितों को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है।

← भारतीय संविधान के स्त्रोत →

→ प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उनके अच्छे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान की रचना की।

→ हमारे संविधान के मुख्य स्त्रोत निम्नलिखित हैं :-

1. भारत सरकार अधिनियम - 1935

* यह हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है।
* हमारे संविधान के ~ 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं।

e.g. संघीय ढाँचा
द्विसदनीय व्यवस्था
प्रान्तों की स्वायत्तता (Bicameral)
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
राज्यपाल की वीटो शक्ति
लोक सेवा आयोग
जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
आपातकालीन प्रावधान
न्यायपालिका ~~etc.~~
समवर्ती सूची e
CAG etc.

2. ब्रिटेन -

(i) संसदीय शासन व्यवस्था
(ii) द्विसदनीय व्यवस्था
(iii) मंत्रीपरिषद् का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
(iv) मंत्रीमण्डल व्यवस्था

(v) विधायी प्रक्रिया

(vi) एकल नागरिकता

(vii) Writ जारी करना

(viii) विधि के समक्ष समता

(ix) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया

(x) First Past the Post (अग्रेता ही विजेता)

(xi) CAG

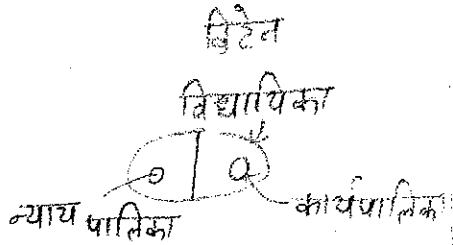

3. <u>अमेरिका</u> -

(i) स्वतंत्र न्यायपालिका

(ii) न्यायिक पुनरावलोकन

(iii) PIL (जनहित याचिका)

(iv) SC तथा HC के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

(v) मूल अधिकार

(vi) राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया
Impeachment

(vii) विधि का समान संरक्षण

(viii) विधि की सम्यक् प्रक्रिया (Due process of law)

(ix) उपराष्ट्रपति का पद

(x) प्रस्तावना की पहली पंक्ति

Union में केंद्र ज्यादा powerful
federation " " राज्य "

4. कनाडा -

(i) परिसंघीय ढाँचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो ।

(ii) केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ।

(iii) SC की परामर्श देने की शक्ति ।

5. आयरलैण्ड -

(i) नीति निर्देशक तत्व ।

(ii) राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ।

(iii) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ।

6. दक्षिण अफ्रीका -

(i) संविधान संशोधन की प्रक्रिया ।

(ii) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ।

7. ऑस्ट्रेलिया -

(i) समवर्ती सूची

(ii) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

(iii) प्रस्तावना का प्रारूप

(iv) अन्तर्राज्यीय व्यापार - वाणिज्य

8. जर्मनी - (Vimer Republic)

(i) आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन

9. France -

(i) गणराज्य

(ii) स्वतंत्रता, समानता, बन्धुता
Fraternity

10. रूस -

(i) मूल कर्त्तव्य

(ii) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय

11. जापान -

(i) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया

8. क्या भारतीय संविधान एक उधार का थैला है ?

प्रस्तावना

हम भारत के लोग

अर्थात् सम्प्रभुता जनता में निहित है।

भारत —
- ① सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
- ② समाजवादी
- ③ पंथनिरपेक्ष
- ④ लोकतांत्रिक
- ⑤ गणराज्य

बनाने के लिए

न्याय —
- ① सामाजिक
- ② आर्थिक
- ③ राजनीतिक

स्वतंत्रता —
- ① विचार
- ② अभिव्यक्ति
- ③ विश्वास
- ④ धर्म
- ⑤ उपासना

समता —
- प्रतिष्ठा
- अवसर

बन्धुता —
- व्यक्ति की गरिमा
- राष्ट्र की एकता व अखण्डता

26 नवम्बर 1949 ई.

मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवति 2006 विक्रमी

संविधान को — ① अंगीकृत
② अधिनियमित
③ आत्मार्पित

Q. क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ?

→ केशवानन्द भारती वाद (case) 1973 में SC ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन इससे संविधान का बुनियादी ढाँचा विकृत नहीं होना चाहिए।

42 वाँ संविधान संशोधन (mini constitution), 1976

→ 3 नए शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए – समाजवादी
पन्थनिरपेक्ष
अखण्डता

Q. क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है ?

→ बेरूबाड़ी वाद 1960 में SC ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। (Art. 137)

→ केशवानन्द भारती वाद 1973 में SC ने अपने पूर्व निर्णय को उलट दिया तथा यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन यह अनुच्छेदों की भाँति प्रभावी नहीं है।

→ न तो ये संसद को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है तथा न ही संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।

→ यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय (लागू करवाना) नहीं है। (Enforcible)

Q. भारतीय संविधान का दर्शन क्या है ? - इसमें प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख करना होता है।

<u>प्रस्तावना की आलोचना</u> -

① यह नकल की गई है। इसकी पहली पंक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है जबकि शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।

② इसमें समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। क्योंकि 1991 से हम लगातार पूँजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

③ पन्थनिरपेक्षता शब्द का अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि पाश्चात्य मान्यता के अनुसार भारत पन्थनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है बल्कि हम 'सर्वधर्म समभाव' को मानते हैं।

पन्थनिरपेक्षता की

④ प्रस्तावना अनुच्छेदों की भाँति प्रभावी नहीं है। क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

अनुसूचियाँ

पहली अनुसूची -

राज्य व संघ शासित प्रदेश -

दूसरी अनुसूची -

वे पदाधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती Payment के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए।

संचित निधि पर भारित वेतन

केंद्र	राज्य
① राष्ट्रपति	① राज्यपाल
② राज्यसभा – सभापति, उपसभापति	② विधानपरिषद् - सभापति, उपसभापति
③ लोकसभा – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष	③ विधानसभा - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
④ SC के न्यायाधीश	④ HC के न्यायाधीश
⑤ CAG	

तीसरी अनुसूची -

शपथ का प्रारूप

केंद्र	राज्य
① MP का उम्मीदवार	① MLA / MLC का उम्मीदवार
② MP	② MLA / MLC
③ मंत्री	③ मंत्री
④ SC के न्यायाधीश	④ HC के न्यायाधीश
⑤ CAG, SC के न्यायाधीश के समान शपथ लेता है।	

→ Art. 60 में राष्ट्रपति की शपथ
→ Art. 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ
→ Art. 159 में राज्यपाल की शपथ
→ राज्यसभा के सभापति व उपसभापति } के लिए अलग से कोई शपथ नहीं
लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष } होती।

चौथी अनुसूची -
राज्यसभा की सीटों का बँटवारा

पाँचवी अनुसूची -
अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से सम्बन्धित प्रावधान

6th अनुसूची -
अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से सम्बन्धित प्रावधान
(असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)

7th अनुसूची -
→ इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बँटवारा

	आरम्भ में	वर्तमान में
संघ सूची	96, विषय	100
राज्य सूची	66	61
समवर्ती सूची	47	52

→ 42 वाँ संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए [वन, वन्य जीव, नाप-तौल की इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा)

8th अनुसूची -

→ इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं।

→ मूलरूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं।

15th	सिन्धी	21 वाँ संविधान संशोधन 1967 ई.
16th	कोंकणी	71 " " " 1992 ई.
17th	मणिपुरी	"
18th	नेपाली	"
19th	बोडो	92 " " " 2003 ई.
20th	डोगरी	"
21th	मैथिली	"
22th	संथाली	"

→ हिन्दी 8th अनुसूची में शामिल है।

→ English 8th अनुसूची में शामिल नहीं है।

9th अनुसूची-

→ अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण

→ जिन अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।

→ यह अनुसूची 1st संविधान संशोधन के द्वारा पारित (शामिल) की गई। (1951)

→ जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।

→ मूलरूप से इसमें 13 अधिनियम थे लेकिन कालान्तर में इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई है।

→ कोल्हो वाद 2007 में SC ने निर्णय दिया कि जो अधिनियम 24 April (Coelho) 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्योंकि इस तारीख को SC ने केशवानन्द भारती वाद पर अपना निर्णय दिया था तथा इसमें संविधान के बुनियादी ढाँचे की अवधारणा दी गई थी तथा यह माना कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढाँचा है तथा इसे कम नहीं किया जा सकता।

10th अनुसूची -

→ दल-बदल विरोधी प्रावधान

→ कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

→ लेकिन किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, इसे दल का विलय माना जाएगा।

→ निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।

→ निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकता है।

→ मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं। उसके बाद नहीं ले सकते।

→ यदि कोई सांसद Whip (सचेतक) का उल्लंघन करता है तथा राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता है तो इसे भी दल-बदल माना जाएगा।

→ दल-बदल के मामले में निर्णय सदन का अध्यक्ष / सभापति लेता है लेकिन उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

→ यह अनुसूची 52th CA, के द्वारा जोड़ी गई।

→ 91th CA, से इसमें कुछ बदलाव किए गए।

11th अनुसूची -

→ पञ्चायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय

→ कुल 29 विषय दिए गए हैं।

→ राजस्थान में अब तक 29 में से 22 विषय पञ्चायती राज संस्थाओं को दिए जा चुके हैं।

→ यह 73th CA द्वारा जोड़ी गई।
(1993)

12th अनुसूची -

→ शहरी निकायों को दिए गए विषय

→ कुल 18 विषय दिए गए हैं।

→ यह 74th CA द्वारा जोड़ी गई।
(1993)

संविधान के भाग

1. संघ व उसका राज्य क्षेत्र (1-4)
2. नागरिकता (5-11)
3. मूल अधिकार (12-35)
4. राज्य की नीति के निदेशक तत्व (D.P.S.P.) (36-51)

4(A) मूल कर्त्तव्य 51 A

5. संघ ↳ केंद्र सरकार (52-151)
6. राज्य (152-237)
7. -
8. Union Territory (239-242)
9. पञ्चायती राज (243-243 'O')

9(A) नगरीय निकाय (243 'P' - 243 ZG)

9(B) सहकारिता (243 ZH - 243 ZT)

10. अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र (244 - 244 'A')
11. संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक सम्बन्ध (245-263)
12. संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध (264-300 A)
13. राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य (301-307)
14. केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएँ (IAS/RAS) (308-323)

14(A) न्यायाधीकरण (323 A - 323 B)

15. निर्वाचन (324 - 329 A)
16. कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (SC/ST) (330-342)

17. राजभाषा (343- 351)
18. आपातकाल (352 - 360)
19. प्रकीर्ण (361 - 367)
20. संविधान संशोधन की प्रक्रिया (368)
21. अस्थायी प्रावधान (369- 392)
22. संक्षिप्त नाम व हिन्दी अनुवाद (393 - 395)

भाग- I

संघ व इसका राज्य क्षेत्र (Art. 1-4)

Art. 1 India that is 'BHARAT'.

→ भारत राज्यों का एक संघ है।

→ संविधान में सभी जगह Union शब्द का प्रयोग किया गया है।

→ संविधान में कहीं पर भी Federal शब्द का उल्लेख नहीं है इसके बावजूद यह माना जाता है कि भारत एक Federal देश है।

→ Dr. B. R. अम्बेडकर के अनुसार भारत शान्तिकाल में Federal है जबकि आपातकाल में Union हो जाता है।

* उनका मानना था कि हमने जानबूझकर Federal शब्द का उल्लेख नहीं किया ताकि लोग भारत को अमेरिका की भाँति Federal न समझें। क्योंकि अमेरिका में राज्यों ने देश का निर्माण किया था लेकिन भारत सदियों से एक राष्ट्र है तथा देश ने राज्यों का निर्माण किया है।

* भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी परिसंघ है।

→ भारतीय राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न क्षेत्र माने गए हैं-

(i) सभी राज्य
(ii) केंद्र शासित प्रदेश
(iii) अन्य अधिगृहीत क्षेत्र

☆ भारतीय संविधान Quasi Federal (अर्द्ध परिसंघीय) है।

Art. 2 यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह जो भी शर्तें उचित लगे उनके आधार पर किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है या उसे भारत (ईय संघ) में मिला सकती है।

→ यह अनुच्छेद Indian Union Territory (भारतीय संघ) के बाहर के क्षेत्रों के लिए है।

Art. 3 केंद्र को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का विभाजन कर सकता है, राज्यों की सीमा में कटौती कर सकता है, सीमा में वृद्धि कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है तथा नाम परिवर्तित कर सकता है।

→ नए राज्य का गठन :-

* सर्वप्रथम राष्ट्रपति इस आशय का प्रस्ताव प्रभावित होने वाले राज्यों के पास भेजता है।
* राज्यों के विधानमण्डल इस पर विचार करते हैं।
* राष्ट्रपति प्रस्ताव को वापस लौटाने के समय सीमा निर्धारित कर सकता है।
* राष्ट्रपति इस समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है।
* राज्य विधानमण्डल की राय से प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं होता।
* नए राज्य के गठन से सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जा सकता है।
* यह विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
* यह दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। अर्थात् इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
* दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
* राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।

Art. 4 अनुसूची-1 व अनुसूची-5 में जो बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अर्थात् नए राज्य के गठन के लिए CA की आवश्यकता नहीं है।

→ बेरूबाड़ी वाद 1960 (W. बंगाल) – SC ने निर्णय दिया कि भारत का कोई भी भूभाग संविधान संशोधन के द्वारा ही किसी अन्य देश को दिया जा सकता है।

→ 9th CA, 1960 ई– इस संशोधन के द्वारा बेरूबाड़ी नामक जगह Pak. को दी गई।

→ AD 1969 – SC ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए CA की आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमण्डल के निर्णय से सीमा विवाद को हल किया जा सकता है। लेकिन इससे भारतीय भूभाग में कमी नहीं होनी चाहिए।

→ 100th CA – इस संशोधन के तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ उचियों (Enclaves) का आदान-प्रदान किया।

* भारत ने बांग्लादेश को 111 Enclaves दिए तथा बदले में बांग्लादेश के 51 Enclaves प्राप्त किए।

राष्ट्रीय एकीकरण –

Oct. 1947 ई. – J & K का भारत में विलय किया गया।

* यहाँ के शासक हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

Feb. 1948 ई. – जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किया गया।

* यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था। क्योंकि यहाँ का शासक Pak. भाग गया था।

Nov. 1948 ई. - हैदराबाद रियासत का विलय किया गया।

* यहाँ पुलिस कार्यवाही की गई थी।
* इसे 'Op. पोलो' नाम दिया गया।

1954 ई. - पॉण्डिचेरी, यनम, करैकल, माहे, चंद्रनगर : इन्हें फ्रांसीसी आधिपत्य से आजाद करवाया गया।

1954 ई. - दादर व नागर हवेली पुर्तगाल से आजाद हो गए।

1961 ई. - गोवा, दमन व दीव को पुर्तगाल से आजाद करवाया गया।

10th CA 1961 ई- इसके द्वारा दादर व नागर हवेली का विलय भारत में किया गया तथा इसे U.T. बनाया गया।

12th CA 1962 ई- गोवा, दमन व दीव का विलय भारत में कर दिया गया तथा इन्हें भी U.T. बनाया गया।

14th CA 1962 ई. - पॉण्डिचेरी, यनम, माहे, करैकल, चन्द्रनगर का भारत में विलय कर दिया (चन्द्रनगर का विलय W. बंगाल में किया जबकि शेष को U.T. बनाया गया)

सिक्किम - सिक्किम में चॉग्याल का शासन था।

* हमारे संविधान में इसे रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके तहत भारत के पास 3 विषय थे -

(i) रक्षा
(ii) विदेश
(iii) सञ्चार

तथा अन्य विषय चॉग्याल के पास थे।

35th CA, 1974 ई. - इसके तहत सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसका प्रावधान करने के लिए Art. 2(A) व 10th अनुसूची संविधान में शामिलकिए गए।

→ कालान्तर में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें सिक्किम के लोगों ने भारत में सिक्किम के पूर्ण विलय के पक्ष में मतदान किया।

36th CA 1975 ई. - सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कर दिया गया।
Art. 2(A) व 10th हटा

राज्यों का पुनर्गठन -

धर आयोग 1948 ई. -

→ इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया।

JVP समिति 1948 ई. -

→ सदस्य = JL नेहरू
वल्लभ भाई पटेल
पट्टाभि सीतारमैय्या

→ इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया।

→ लेकिन देश में लगातार यह माँग बढ़ती जा रही थी।

→ सबसे ज्यादा यह माँग तेलुगु भाषी लोग कर रहे थे।

* प्रमुख नेता = पोट्टीश्री रामल्लू

* 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए यह आन्दोलन अधिक तीव्र हो गया। अतः सरकार को इनकी माँग माननी पड़ी।

→ आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया [1953 ई.]

* यह भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था।

→ आंध्र प्रदेश बनने से यह माँग और अधिक हो गई (देश के विभिन्न हिस्सों में)

→ फजल अली आयोग (1953) का गठन किया गया :-

* हृदयनाथ कुंजरू व K.M. पणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे।

→ 1955 में इस आयोग ने अपनी अनुशंसाएँ दीं -

(i) इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को स्वीकार कर लिया लेकिन इसने माना कि राज्य का आधार केवल भाषा नहीं हो सकता।

* कुछ अन्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

e.g. देश की एकता व सुरक्षा को मजबूती मिले।

(ii) भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए।

(iii) आर्थिक वित्तीय व प्रशासनिक विकास सुनिश्चित होना चाहिए।

(iv) जनता के कल्याण के लिए आयोजन को प्रोत्साहन मिले।
(Planning & Promotion)

→ इन उद्देश्यों के साथ समझौता किए बिना ~~यदि~~ भारत भाषा के आधार पर राज्य बना सकता है।

→ इसके साथ ही इसने माना कि राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर दो श्रेणियाँ होनी चाहिए -

भाग-6 A → ब्रिटिश कालीन
7 → B → रियासतों से → Raj
8 → C → U.T.
9 → D → अंडमान व निकोबार

(a) राज्य

(b) U.T.

→ 7th CA 1956 द्वारा इसकी अनुशंसाओं को लागू किया गया।

→ 1 Nov. 1956 को यह संशोधन लागू हुआ।

→ इस समय देश में 14 राज्य व 6 U.T. थीं।

1960 ई. – गुजरात (15th)

1963 ई. – नागालैण्ड[16]

1966 ई. – हरियाणा[17] → चंडीगढ़ को U.T. बना दिया गया तथा पंजाब के हिन्दी भाषी पहाड़ी क्षेत्र H.P. में मिला दिए गए।

1971 ई. – H.P.[18]

1972 ई. – मणिपुर[19], त्रिपुरा[20} } U.T. से पूर्ण राज्य

मेघालय[21] – उपराज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

* 22th CA से मेघालय को असम के भीतर उपराज्य का दर्जा दिया गया था।
* इसकी अलग से विधायिका व कार्यपालिका का गठन किया गया लेकिन मेघालय इससे सन्तुष्ट नहीं था।

★ 1972 में मिजोरम[22] व अरुणाचल प्रदेश को U.T. बनाया गया।

1975 ई. – सिक्किम[22]

1987 ई. – मिजोरम[23], अरुणाचल प्रदेश[24], गोवा[25]

2000 ई. – छत्तीसगढ़[26] (M.P.), उत्तराखण्ड[27] (U.P.), झारखण्ड[28] (Bihar)

2014 ई. – तेलगांना[29]

नाम परिवर्तन -

→ कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया।

→ संयुक्त प्रान्त पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया।

→ 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।

→ 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया।

* इसी वर्ष लकादीव मिनिकॉय एवं अमीनदीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया।

→ 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया (इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए)

* यह बदलाव 69th CAA 1991 ई. के द्वारा हुआ।

→ 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड कर दिया गया।

→ इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया।

→ वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण 'ओडिशा' के रूप में हुआ।

भाग - 3

मूल अधिकार

Art. 12 - 35

Art. 12 राज्य की परिभाषा

① केंद्र की विधायिका व कार्यपालिका
② राज्यों की " " "
③ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

Art. 13 (i) ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असङ्गत हो । वह असङ्गति की सीमा तक शून्य होगी ।

(ii) संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों से असङ्गत हो ।

* यदि संसद ऐसा कानून बनाती है तो वह भी असङ्गति की सीमा तक शून्य होगा ।

(iii) विधि (law) की परिभाषा -

संसदीय अधिनियम
राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश
(promulgated)
राज्य विधानमण्डल के द्वारा पारित अधिनियम
राज्यपाल का अध्यादेश
उपविधि
नियम - विनियम
परम्परा
रूढ़ी
आदेश

(iv)

1. समता का अधिकार (14 - 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (19 - 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 - 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 - 28)
5. शिक्षा व संस्कृति का अधिकार (29 - 30)
6. सम्पत्ति का अधिकार (31) → हटा दिया गया (44th CA से)
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

① समता का अधिकार -

Art. 14 विधि का शासन – ① विधि के समक्ष समता ⊖ U.K.
② विधि का समान संरक्षण ⊕ U.S.A.

→ विधि के समक्ष समता - यह विधि के शासन की -ve व्याख्या करता है। अर्थात् विधि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती।

- कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है।
- यह ब्रिटेन से लिया गया है।

→ विधि का समान संरक्षण -

- यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है।
- इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करती है।
- अलग - अलग परिस्थितियों में भेदभाव हो सकता है।

e.g. सांसदों व राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए हैं।

Art. 15 (i) राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(ii) निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, मन्दिर, सार्वजनिक तालाब कुए आदि पर भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

(iii) राज्य महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बना सकता है।

(iv) राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बना सकता है।

(v) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण

(vi) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ~~आरक्षण~~ विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम

Art. 16

(i) लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा।

(ii) लोक नियोजन में किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान व निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

(iii) अपवाद→ संसद किसी पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकती है।

(iv) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं।

(iv) (a) पदोन्नति में आरक्षण

(b) Backlog को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है।

(v) राज्य द्वारा सञ्चालित धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं।

(vi) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

इन्दिरा सहानी वाद 1992 ई.

SC ने निर्णय दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है तथा OBC के लिए क्रीमीलेयर की अवधारणा को लागू किया गया।

Art.17 अस्पृश्यता का अन्त

→ इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसलिए यह एक पूर्ण अधिकार है।

Art.18 उपाधियों का अन्त

→ राज्य शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

→ भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता।

→ विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अन्य देश से उपाधि ग्रहण कर सकता है।

→ भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी अन्य देश से सम्मान ग्रहण कर सकता है।

1996- SC ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि उपाधियाँ नहीं है बल्कि सम्मान है। इसलिए इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता।

Art. 19 (i) (a) वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – ① प्रेस की स्वतंत्रता
② विज्ञापन की स्वतंत्रता
③ चुप रहने का अधिकार
④ टेलिफोन टेप नहीं
⑤ सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करना
⑥ धरना, प्रदर्शन की स्वतंत्रता
(हड़ताल नहीं)

(b) शान्तिपूर्ण सम्मेलन (बिना शस्त्रों के)
(c) संघ
(d) विचरण
(e) आवास
(f) सम्पत्ति (44 वें संशोधन द्वारा हटाया)
(g) आजीविका

19 (ii) वाक् व अभिव्यक्ति की सीमाएँ

1. देश की अखण्डता व सम्प्रभुता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
4. न्यायालय की अवमानना
5. मानहानि
6. लोक व्यवस्था → शान्ति व व्यवस्था
7. नैतिकता / सदाचार
8. अपराध उद्दीपन

19 (iii) शान्तिपूर्ण सम्मेलन की सीमाएँ

1. भारत की ~~एकता~~ सम्प्रभुता व अखण्डता
2. लोक व्यवस्था

19 (iv) संघ बनाने की सीमाएँ

1. भारत की अखण्डता व सम्प्रभुता
2. लोक व्यवस्था
3. नैतिकता

19 (V) विचरण व आवास की सीमाएँ

1. जनसाधारण के हित में ~~तथा~~ ज
2. जनजातीय लोगों के हित में

19 (vi) आजीविका की सीमाएँ

1. जनसाधारण के हित में

Art. 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समय संरक्षण

① No Ex-Post fac-to law

→ किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो अपराध के समय लागू था। अर्थात् आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता।

* यह Civil कानून के लिए लागू नहीं होता।

② No Doublejeopardy

→ किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है।

* विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

③ No Selfincrimination :-

→ किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

→ यह अधिकार निम्न बातों के लिए संरक्षण नहीं देता -

(i) स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना।

(ii) अँगूठे का निशान लगाना।

(iii) हस्ताक्षर करना।

(iv) रक्त का नमूना देना।

→ Art. 20 केवल आपराधिक कानूनों से संरक्षण देता है।

Art. 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

→ ~~न्यायालय~~ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से ~~वञ्चित नहीं किया जा सकता।~~

गोपालन वाद 1950 ई. -

* इसमें SC ने Art. 21 की संकीर्ण व्याख्या की। अतः विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को तहत माना कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है, यह विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की व्याख्या नहीं कर सकती भले ही विधायिका ने अतार्किक, अनुचित व अन्यायपूर्ण समीक्षा कानून बनाया हो न्यायपालिका को कानून का अक्षरशः पालन करना पड़ता है।

* इसी तरह न्यायालय ने माना कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है जीवित रहना तथा बन्धक नहीं बनाया जाना।

विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया -

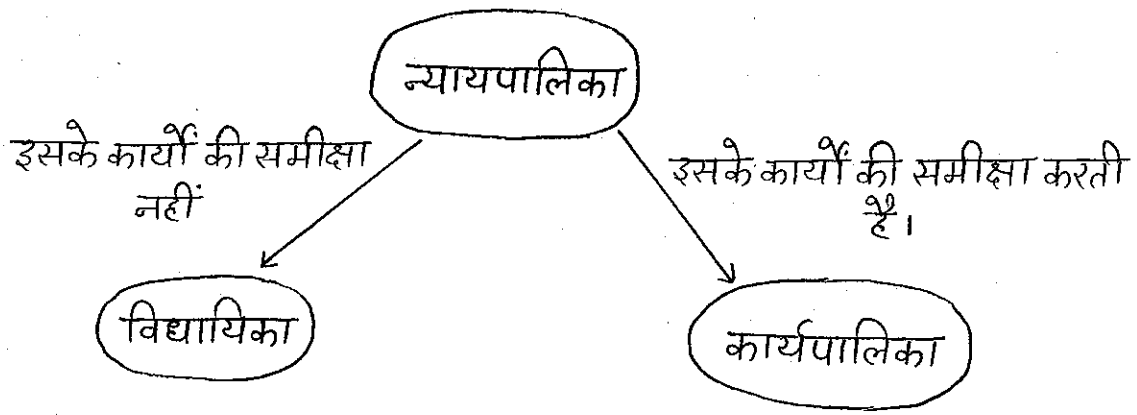

मेनका गाँधी वाद 1978 ई. -

→ इसमें SC ने Art. 21 की व्यापक व्याख्या दी तथा अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा न्यायालय ने, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक् प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। (माना कि)

→ इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के साथ-साथ विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा भी कर सकती है। अर्थात् वह किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है कि वह कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप है या नहीं।

→ यदि कोई कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध है; वह अतार्किक, अनुचित या अन्यायपूर्ण कानून है तो उसे बदल भी सकती है या उसकी अलग व्याख्या कर सकती है।

→ इस सिद्धान्त के अनुसार न्यायपालिका कानून का अक्षरश: पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

विधि की सम्यक् प्रक्रिया-

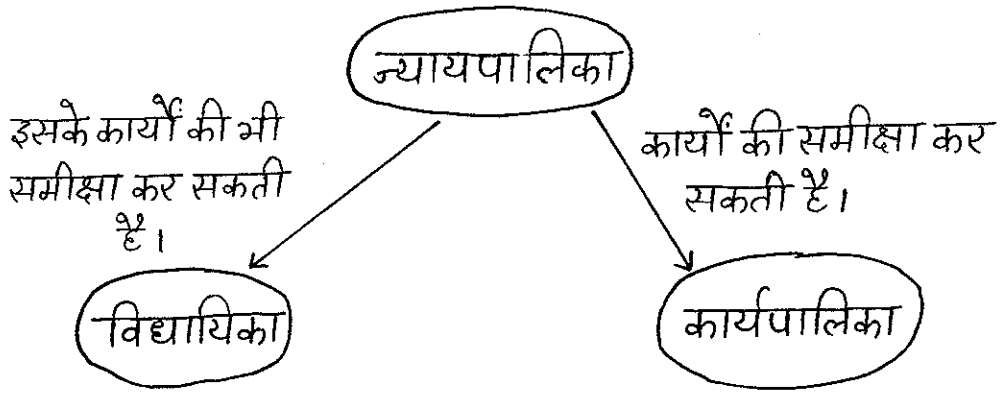

→ इसके साथ ही न्यायपालिका ने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की भी व्यापक रूप में व्याख्या की।

→ इसने माना कि जीने के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना या पशुओं की तरह रहना नहीं है बल्कि जीवन का अर्थ है मानवीय गरिमा से पूर्ण/युक्त जीवन जिसमें जीवन के वे सभी पहलू होने चाहिए जिससे कि जीवन अर्थपूर्ण बने।

→ इसके लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है :-

① मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार
② स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा
③ जीवन रक्षा का अधिकार
④ निजता का अधिकार
⑤ आश्रय का अधिकार
⑥ स्वास्थ्य का अधिकार
⑦ 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार
⑧ निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार

(9) अकेले कारावास में बन्द होने के विरुद्ध अधिकार
(10) त्वरित सुनवाई का अधिकार
(11) हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
(12) अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
(13) देर से फाँसी के विरुद्ध अधिकार
(14) विदेश यात्रा करने का अधिकार
(15) बँधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार
(16) हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार
(17) आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार
(18) सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार
(19) राज्य के बाहर न जाने का अधिकार
(20) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
(21) कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार
(22) महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार
(23) सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार
(24) सुनवाई का अधिकार
(25) सूचना का अधिकार
(26) प्रतिष्ठा का अधिकार
(27) दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार
(28) सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार
(29) सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं सशक्तीकरण का अधिकार

(30) बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार

(31) जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार

(32) शयन का अधिकार

(33) शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार

(34) विद्युत (बिजली) का अधिकार

Art. 21 (A) शिक्षा का अधिकार

→ 6-14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

→ यह 86th CA, 2002 से जोड़ा गया।

→ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया तथा 1 April 2010 से यह अधिनियम लागू हुआ।

→ अब 6-14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या नि:शुल्क तथा अनिवार्य है तथा निजी विद्यालयों में भी 25 % गरीब बच्चों को प्रवेश देना आवश्यक है जिनका शुल्क भुगतान सरकार करती है।

कुछ दशाओं में

Art. 22 ↑ गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण

→ गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है।

→ विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श करने का अधिकार

→ 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार (यात्रा का समय अलग)

लेकिन दो प्रकार के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है -

① शत्रु देश का नागरिक (एलियन)

② निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया हो
(preventive Detention Law) POTA, TADA, MISA

→ निवारक निरोध कानून के तहत जिनको गिरफ्तार किया जाता है उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं :- (निरुद्ध)

(i) max. 3 माह के लिए उसे निरुद्ध किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश से निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(ii) उसे निरोध करने का कारण जानने का अधिकार है लेकिन जनहित में कुछ तथ्यों को नहीं भी बताया जा सकता है।

(iii) निरोध किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अभिव्यक्ति का अधिकार है [अपील करने का अधिकार]

→ 44th CA, 1978 से निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

→ वे विषय जिस पर केवल संघ निवारक निरोध कानून बना सकता है - (संसद)

(i) रक्षा

(ii) देश की सुरक्षा

(iii) विदेशी मामले

→ वे विषय जिन पर संघ व राज्य दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं -

(i) राज्य की सुरक्षा

(ii) लोक व्यवस्था

(iii) समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति व सेवाओं को बनाए रखना ।

→ निवारक निरोध कानून के उदाहरण -

(i) निवारक निरोध अधिनियम, 1950
(ii) MISA, 1971
(iii) COFEPOSA, 1974
(iv) NASA, 1980
(v) PBMSECA, 1980
(vi) TADA, 1985
(vii) PITNDPSA, 1988
(viii) POTA, 2002

Art. 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

→ इसके तहत भारत में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा को प्रतिबन्धित या प्रतिषेध किया गया है।

→ बलात्श्रम के प्रतिषेध के तहत बँधुआ मजदूरी व बेगार प्रथा को प्रतिबन्धित किया गया है।

☆ युद्ध के समय सरकार किसी की भी सेवा ले सकती है।

Art. 24 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों व खदानों में नियोजन का प्रतिषेध

* वर्तमान में 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन नहीं किया जा सकते ।

• लेकिन वह घरेलु व्यवसाय में माता-पिता की सहायता कर सकता है।

→ 2016 में नया कानून

धार्मिक स्वतंत्रता -

Art. 25 अन्तः करण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा उसके प्रचार-प्रसार का अधिकार

→ इसकी 3 सीमाएँ हैं :-

(i) नैतिकता

(ii) स्वास्थ्य

(iii) लोक व्यवस्था

Art. 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना तथा इन कार्यों का प्रबन्धन देखना

चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करना

Art. 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

Art. 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

→ राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

→ निजी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन इसमें उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार -

Art. 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

→ भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

→ राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वञ्चित नहीं किया जा सकता।

Art. 30 अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उसका प्रशासन कर सकते हैं।

→ धर्म व भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं।

→ शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य धर्म व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा [अल्पसंख्यकों के लिए]

★ अनुच्छेद -29 का अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ-साथ अन्य वर्गों को भी उपलब्ध है।

सम्पत्ति का अधिकार -

Art. 31 44th CA 1978 से इसे हटा दिया गया है तथा अब इसे Art. 300(A) में शामिल किया गया है।

→ इसलिए अब यह मूल अधिकार नहीं है।

→ अब यह संवैधानिक अधिकार है।

Art. 31(A) जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य किसी की निजी सम्पत्ति तथा व्यापार का अधिग्रहण कर सकता है तथा इसकी कितनी भी क्षतिपूर्ति राशि रख सकती (निर्धारित) है।

Art. 31(B) यदि किसी अधिनियम को 9th अनुसूची में रख दिया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।

Art. 31(C)

Art. 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

→ यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो SC पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है :-

(i) Habeas Corpus (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) हैबीज कॉर्पस

* यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बन्धक बनाया जाता है, इस स्थिति में न्यायालय यह रिट जारी करता है।

* यह सरकार तथा निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।

(ii) Mandamus (परमादेश)

* किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति यदि अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे कर्त्तव्य पालन कराने के लिए

न्यायालय यह रिट जारी करता है।

* यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय करती है।
* निम्न के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं हो सकती -

(a) राष्ट्रपति
(b) राज्यों के राज्यपाल
(c) निजी व्यक्ति अथवा संस्था
(d) अगर किसी की विवेकाधीन शक्तियाँ हों
(e) HC का मुख्य न्यायाधीश यदि वह अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार में कार्य कर रहा हो
(f) संविदा की बाध्यताएँ

(iii) Prohibition (प्रतिषेध)

→ यह उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है।

* यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
* यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है।

(iv) Certiorari (उत्प्रेषण)

* यह भी उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है।
* इसके तहत उच्चतर न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मँगवाता है।
* यदि निम्नतर न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दी है तब भी जारी की जा सकती है।

* 1991 से यह रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।

Prohibition	Certiorari
① इसमें निम्नतर न्यायालय को केवल रोका जाता है।	① उच्चतर न्यायालय केस की सुनवाई स्वयं के पास मँगवाता है।
② सुनवाई के दौरान ही जारी की जा सकती है।	② सुनवाई के दौरान तथा सुनवाई पूरी होने के बाद भी जारी की जा सकती है।
③ ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है।	③ यह कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

(v) Quo Warranto (अधिकार पृच्छा)

* यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यताएँ नहीं हैं इस स्थिति में उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है।

* यह नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी नहीं की जाती बल्कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है।

उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता Art. 32	HC की रिट अधिकारिता Art. 226
① SC रिट जारी करने के लिए बाध्य है। क्योंकि उसे यह शक्ति अनु. 32 से प्राप्त होती है तथा अनु. 32 नागरिकों का मूल अधिकार है।	① HC रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि अनु. 226 मूल अधिकार नहीं है।
② SC केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है। यह अन्य मामलों में रिट जारी नहीं कर सकता।	② HC मूल अधिकारों में हनन के साथ-साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
③ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान Art. 32 को निलम्बित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में SC रिट जारी नहीं कर सकता।	③ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान Art. 226 को निलम्बित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी रिट अधिकारिता बनी रहती है।

→ उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि SC की तुलना में HC की रिट अधिकारिता अधिक होती है।

Art. 33 सेना, अर्द्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर विभाग आदि के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है।

Art. 34 जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू होती है उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है।

✱ संविधान में सैन्य विधि की व्याख्या नहीं की गई है।

Art. 35 मूल अधिकारों में कटौती केवल संसद कर सकती है।

✱ संविधान में जहाँ मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान है।

Art. 35(A) जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान

→ केवल J & K के स्थायी निवासी राज्य में अचल सम्पत्ति खरीद सकते हैं।

→ J & K की राज्य सरकार की नौकरियों के लिए केवल स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं।

→ J & K सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, छात्रवृत्ति आदि का लाभ केवल स्थायी निवासियों को दिया जाएगा।

→ 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में यह अनुच्छेद जोड़ा गया था।

→ हाल ही में SC में इस अनुच्छेद को चुनौती दी गई है।

वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं :-

Art. 15,
16
19
29
30

→ शेष सभी मूल अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलम्बन -

Art. 358 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के साथ ही अनु. 19 का स्वतः ही निलम्बन हो जाता है।

राष्ट्रीय आपात → युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह

44th CA, 1978 ई. - यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो Art. 19 का निलम्बन नहीं होगा।

Art. 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकता है।

44th CA, 1978 ई. (जनता पार्टी) - राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनु. 20 व 21 का निलम्बन नहीं किया जा सकता।

☆ यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो तो उस कानून में राष्ट्रीय आपातकाल व मूल अधिकार के निलम्बन का भी उल्लेख होना चाहिए।

मूल अधिकारों में संशोधन-

Art.13 (2) में यह प्रावधान है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों में कटौती होती हो तथा अनु. 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है तथा इस शक्ति की किसी सीमा का उल्लेख नहीं है।

→ अत: यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके उनमें कटौती कर सकती है?

→ अत: संविधान के लागू होते ही यह बहस आरम्भ हो गई।

शंकरी प्रसाद v/s Union of India

* SC ने माना कि अनु. 13 (2) अनु. 368 पर लागू नहीं होता।
* अनु. 13(2) केवल सामान्य विधि पर लागू होता है।
* अत: संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती लेकिन CA के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है।

सज्जन सिंह v/s राजस्थान राज्य 1965 ई.

* SC ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया तथा यह माना कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है तथा उन्हें संशोधन द्वारा कम भी कर सकती है।

गोलकनाथ v/s पंजाब राज्य 1967 ई.

* SC ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया।

तथा इसने माना कि अनु. 368 के तहत किया गया CA भी एक विधि है। अतः अनु. 13(2) इस पर भी लागू होता है।

* अर्थात् संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।
* लेकिन न्यायालय ने मूल अधिकारों में पूर्ववर्ती संशोधनों को रद्द नहीं किया बल्कि उन्हें यथावत् रखा।
* लेकिन इसने कहा कि भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन करके कटौती नहीं की जा सकती।
* अर्थात् इस निर्णय का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

24th CA, 1971 ई. :-

→ इस संशोधन के द्वारा अनु. 13(4) व अनु. 368(1) जोड़े गए।
→ इन अनुच्छेदों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनु. 13(2), अनु. 368(1) पर लागू नहीं होगा।

* इस संशोधन से संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन (उन्हें करके पुनः कम) करने की अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली।

25th CA, 1971 ई. -

→ इस संशोधन के द्वारा अनु. 031C जोड़ा गया जिसके अनुसार - यदि अनु. 39(b) तथा 39(c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करती है तथा यह अधिनियम अनु. 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन करता है तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक हो।

→ तथा इस प्रकार के अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

26th CA, 1971 ई. -

→ इससे राजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त किए।

केशवानन्द भारती वाद 1973 ई. -V/s Kerala

→ इसमें 24th & 25th CA को चुनौती दी गई।

→ न्यायालय ने 24th व 25th CA को मान्यता दे दी तथा यह माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

→ अतः यह मूल अधिकारों में संशोधन करके उनमें कटौती कर सकती है।

→ लेकिन संसद संविधान के बुनियादी ढाँचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती।

→ पहली बार SC ने संविधान के बुनियादी ढाँचे की अवधारणा दी।

→ SC के अनुसार संविधान के बुनियादी ढाँचे की अवधारणा कोई तथ्य नहीं है। इसलिए न्यायालय समय-समय पर इसकी व्याख्या करेगा।

→ न्यायालय ने 25th CA के दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित किया। क्योंकि यह न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढाँचा है।

→ कालान्तर में SC ने बुनियादी ढाँचे की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट किया तथा निम्न बातों को बुनियादी ढाँचे के अन्तर्गत रखा गया-

1. लोकतांत्रिक गणराज्य
2. सम्प्रभुता
   ↓
   देश की

3. संसदीय शासन व्यवस्था
4. परिसंघीय ढाँचा
5. शक्ति पृथक्करण
6. मूल अधिकार
7. पन्थनिरपेक्षता
8. निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव
9. न्यायिक पुनरावलोकन
10. स्वतंत्र न्यायपालिका
11. संविधान की सर्वोच्चता
12. देश की एकता व अखण्डता
13. कल्याणकारी राज्य
14. व्यक्तिगत स्वतंत्रता व गरिमा
15. विधि का शासन
16. मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों के बीच सामञ्जस्य व सन्तुलन
17. समता का सिद्धान्त
18. संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति
19. न्याय तक प्रभावी पहुँच
20. अनु. 32, 136, 141, 142 के तहत दी गई SC की शक्तियाँ
21. अनु. 226, 227 के तहत HC को दी गई शक्तियाँ

→ केशवानन्द भारती वाद में 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया।

* इसमें 7:6 से इन्होंने अपना निर्णय दिया।

42th CA, 1976 ई. → mini constitution

→ इसमें Art 31C का विस्तार किया गया जिसके अनुसार-

यदि संसद सभी नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई अधिनियम पारित करती है तथा इस अधिनियम से अनु. 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा।

मिनर्वा मिल्स V/S भारत संघ - 1980 ई.

→ 42th CA को चुनौती दी गई।

→ SC ने 42th CA से अनु. 31C में किए गए विस्तार को अवैधानिक घोषित कर दिया तथा अनु. 31C को अपने पूर्ववर्ती रूप में स्थापित कर दिया गया।

← नीति निदेशक तत्व →

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

36 – 51

Art. 36 राज्य की परिभाषा

→ इस भाग में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

Art. 37 इस भाग में अन्तर्विष्ट तत्वों का लागू होना

→ इस भाग में अन्तर्विष्ट उपबन्ध (Provision) किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।

→ किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।

Art. 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा

44th CA, 1978 द्वारा जोड़ा।

38(1) * राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की; जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे; भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

38(2) राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

Art. 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

→ राज्य अपनी नीति का इस प्रकार सञ्चालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से -

(a) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

(b) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ।

(c) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।

(d) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो

(e) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों

(f) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

39-A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

* राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वञ्चित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

Art.40 ग्राम पञ्चायतों का सङ्गठन

→ राज्य ग्राम पञ्चायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

Art.41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

→ राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।

Art.42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध

→ राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

Art.43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि

→ राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

43-A उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना

* राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

43-B सहकारी समितियों का उन्नयन

* राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्ध के उन्नयन का प्रयास करेगा।

Art. 44 नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता

→ राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

Art. 45 प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान

→ राज्य प्रारम्भिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।

Art. 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि

→ राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, SC & ST के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

Art.47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य

→ राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

Art.48 कृषि और पशुपालन का संगठन

→ राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और गायों व बछड़ो तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।

48-A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा

Art.49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

→ संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का[1] (यथास्थिति) लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होंगी।

Art.50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

→ राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

Art. 51 अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

→ राज्य -

(a) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का

(b) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का

(c) संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तरराष्ट्रीय विधि और सन्धि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का

(d) अन्तरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का

प्रयास करेगा।

मूल अधिकार v/s नीति निदेशक तत्व

1. चम्पकमदुरईराजन वाद 1951 ई. :-

→ SC ने निर्णय दिया कि यदि मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों के मध्य टकराव होता है तो मूल अधिकारों को वरीयता / प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1st CA, 1951 ई. -

* इसके द्वारा Art. 31(a) व 31(b) को जोड़ा गया जिसके अनुसार जनकल्याण के लिए किसी की निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जा सकता है तथा 9th अनुसूची का प्रावधान किया गया।

* संविधान सम्पत्ति के अधिकार का हनन करने वाले कानूनों को 9th अनुसूची में शामिल किया गया।

4th CA, 1955 ई.-

* यदि जनकल्याण के उद्देश्य से राज्य निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण करता है तथा इसके लिए क्षतिपूर्ति की जो राशि निर्धारित की जाती है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा राज्य किसी भी निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकता है तथा कुछ अन्य कानून भी 9th अनुसूची में सम्मिलित किए गए

उपर्युक्त दोनों संविधान संसोधन में DPSP को प्राथमिकता दी गई तथा इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों में कटौती की गई।

→ विशेष तौर से सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया गया।

केरल शिक्षा अधिनियम वाद 1958 ई.

→ इसमें 1st & 4th CA को चुनौती दी गई।

→ SC ने इन दोनों CA को वैधानिक माना।

17th CA, 1964 ई. –

* 44 अधिनियमों को 9th अनुसूची में मिलाया गया।
* ये अधिनियम मूल अधिकारों में कटौती करने वाले थे तथा DPSP के उद्देश्यों के अनुरूप थे।

गोलकनाथ वाद 1967 ई.

* SC ने अपना पूर्ववर्ती निर्णय उलट दिया तथा इसने माना कि अनु. 368 के तहत किया गया CA भी एक विधि है। अतः अनु. 13(2) इस पर भी लागू होता है।
* अर्थात् संसद CA द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।
* लेकिन न्यायालय ने मूल अधिकारों में पूर्ववर्ती संशोधन को रद्द नहीं किया बल्कि उन्हें यथावत् रखा।
* लेकिन इसने कहा कि भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन करके कटौती नहीं की जा सकती। अर्थात् इस निर्णय का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

24th CA, 1971 ई. –

* इस CA के द्वारा अनु. 13(4) व 368(1) जोड़े गए जिनमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनु. 13(2), अनु. 368 पर लागू नहीं होगा।
* इस CA से संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन करके उन्हें कम करने की अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली।

25th CA, 1971 ई. -

→ इस CA द्वारा अनु. 31-C जोड़ा गया जिसके अनुसार -
यदि अनु. 39(b) तथा 39(c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करती है तथा यह अधिनियम अनु. 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन करता है तो इस आधार पर यह अवैधानिक नहीं होगा तथा इस प्रकार के अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

केशवानन्द भारती वाद 1973 ई.

→ इसमें 24th & 25th CA को चुनौती दी गई।

→ न्यायालय ने 24th & 25th CA को मान्यता दे दी तथा यह माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अतः यह मूल अधिकारों में संशोधन करके उनमें कटौती कर सकती है लेकिन संसद संविधान के बुनियादी ढाँचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती।

→ पहली बार SC ने संविधान के बुनियादी ढाँचे की अवधारणा दी।

→ SC के अनुसार संविधान के बुनियादी ढाँचे की अवधारणा कोई तथ्य नहीं है। इसलिए न्यायालय समय-समय पर इसकी व्याख्या करेगा।

→ न्यायालय ने 25th CA के दूसरे भाग को अवैधानिक घोषित किया। क्योंकि यह न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढाँचा है।

42th CA, 1976 ई. -

→ इसमें अनु. 31-C का विस्तार किया गया जिसके अनुसार -
यदि संसद सभी DPSP के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कोई अधिनियम पारित करती है तथा इस अधिनियम से अनु. 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा।

मिनर्वा मिल्स वाद - 1980 ई.

→ SC ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व परस्पर विरोधी नहीं हैं। क्योंकि दोनों का उद्देश्य है - समाज कल्याण ।

→ इसलिए ये दोनों एक-दूसरे के अनुपूरक हैं।

→ दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं।

→ इसके बावजूद दोनों के बीच विरोधाभास होता है तो DPSP की तुलना में मूल अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

→ इसलिए अनु. 31-C के विस्तार को अवैधानिक घोषित किया गया ।

वर्तमान स्थिति -

DPSP की तुलना में मूल अधिकार श्रेष्ठ हैं लेकिन अनु. 39-B तथा 39-C के DPSP अनु. 14 व अनु. 19 में दिए गए मूल अधिकारों की तुलना में श्रेष्ठ हैं।

मूल अधिकार	DPSP
① संविधान लागू होते ही मूल अधिकार लागू हो गए थे।	① DPSP सुझाव हैं, संविधान के साथ लागू नहीं हुए।
② ~~इन्~~	② इनको संसद विधि बनाकर लागू करती है।
② ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हैं।	② ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
③ ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।	③ ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
④ मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है।	④ इनकी प्रकृति सकारात्मक है।
⑤ मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं।	⑤ ये समाज कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं।

Q.① DPSP को लागू करने के लिए अब तक संसद ने कौन-कौनसे अधिनियम पारित किए हैं?

Q.② क्या समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए? इसे लागू करने में क्या बाधाएँ हैं?

<u>उत्तर-①</u> 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य ने निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया। इनका उल्लेख निम्नलिखित है-

① 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके।

* अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य समाजार्थिक न्याय प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा व अवसर की असमानताओं को कम करना है।

* 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इण्डिया) की स्थापना की गई।

② लगभग सभी राज्यों में भू-सुधार कानून पारित किए गए हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके।

* इन उपायों में शामिल हैं -

(a) बिचौलियों जैसे - जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि को समाप्त किया गया है

(b) किराएदारी सुधार जैसे- किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया आदि

(c) भूमि सीमांकन व्यवस्था

(d) अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण

(e) सहकारी कृषि

③ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), मजदूरी संदाय अधिनियम (1936), बोनस संदाय अधिनियम (1965), ठेका श्रम (विनियम व उत्पादन) अधिनियम (1970), बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम (1986), बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम (1976), व्यवसाय संघ अधिनियम (1926), कारखाना अधिनियम (1948), खान अधिनियम (1952), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947), कर्मकार प्रतिकार अधिनियम (1923), आदि को श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है।

* वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाया।

* 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम (1986) का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम (1980) कर दिया गया।

④ प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) को महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया।

⑤ सामान्य वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए। इनमें शामिल हैं- जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण (1956), 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969), सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण (1971), शाही खर्च की समाप्ति (1971) आदि।

⑥ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया लोक अदालत सांविधानिक फोरम हैं जो कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं, इन्हें जन अधिकार अदालतों के समान स्तर दिया गया। इनके निर्णय मानने की बाध्यता होती है और इनके फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं है।

⑦ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि की ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग विकास के लिए स्थापना की गई।

⑧ सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1960), सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (1973), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974), एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (1978), जवाहर रोजगार योजना (1989), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2006) आदि को मानक जीवन जीने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया।

⑨ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) एवं वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) को वन्य जीवों एवं वनों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। जल एवं वायु अधिनियमों ने केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए जो पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय वन नीति (1988) का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है।

⑩ कृषि को आधुनिक बनाया गया, इसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज, खाद एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए गए।

⑪ त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, तालुक एवं जिला स्तर) को चालू

किया गया ताकि गाँधीजी का सपना कि हर गाँव गणतंत्र हो, साकार हो सके। 73th CAA (1992) को इन पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया।

(12) शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों एवं प्रतिनिधि निकायों में SC, ST व कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया।

* अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (1955) को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (1976) नया नाम दिया गया और SC, ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) को SC व ST की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया ताकि उन्हें शोषण से मुक्ति और सामाजिक न्याय मिले। 65th CAA (1990) के तहत SC व ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। 89th CAA (2003) ने इस संयुक्त आयोग को दो पृथक् निकायों अर्थात् राष्ट्रीय SC आयोग और राष्ट्रीय ST आयोग में बाँट दिया।

(12a) अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया है। इनके अन्तर्गत शामिल हैं - पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (1993), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

(13) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है। इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकारी जैसे कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परम्परागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते थे। विभाजन के बाद विधिक शक्तियों को इन कार्यकारियों से अलग कर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों में सौंप दिया गया है, जो राज्य HC के नियंत्रण में काम करते हैं।

(14) प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (1951) को राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों के स्थानों के तहत प्रभावी बनाया गया।

(15) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया। इसके अलावा खतरनाक बीमारियों जैसे- मलेरिया, TB, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, कालाजार, गलघोंट्, जापानी बुखार आदि को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएँ प्रारम्भ की गई।

(16) कुछ राज्यों में गायों, बछड़ो और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया गया।

(17) कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तात्कालिक वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई।

(18) भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति एवं पञ्चशील की नीति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया।

→ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्व को पूर्ण व प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कारण हैं - अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक - आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र - राज्य तनावपूर्ण सम्बन्ध आदि।

मूल कर्त्तव्य

भाग - 4A

सरदार स्वर्ण सिंह समिति -

→ इसकी अनुशंसाओं से संविधान में मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।

→ 42th CA के द्वारा (1976) मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।

→ मूल कर्त्तव्यों का पालन नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

Art. 15A भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

① संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे

② भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे

③ स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे

④ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

⑤ भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

⑥ हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे

⑦ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे

⑧ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे

⑨ सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे

⑩ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले

⑪ जो माता-पिता या संरक्षक हो वह, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

भाग - 5

अनु. 52 - 151

संघ

कार्यपालिका (52 - 78)

विधायिका (79 - 123)

न्यायपालिका (124 - 147)

CAG (148 - 151)

कार्यपालिका -

राष्ट्रपति

अनु. 52 : भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

अनु. 53 : संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी।

अनु. 74 : राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी ।

* राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करेगा ।

अनु. 54 : राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल

(a) लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य

(b) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

(c) दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

→ निम्नलिखित लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते -

(a) लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

(b) विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य

(c) विधानपरिषद् के सदस्य

अनु॰ 55 : राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति

→ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा

→ इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत = $\frac{N}{n+1} + 1$

यहाँ N = कुल मतों की संख्या

n = कुल सीटों की संख्या

→ राष्ट्रपति को जीत के लिए (50 % + 1) मत चाहिए।

→ MLA के मत का मूल्य = $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या (1971 ई॰)}}{\text{कुल निर्वाचित MLA}} \times \frac{1}{1000}$

→ राजस्थान के MLA का मत मूल्य = 129

→ max. value of U.P. MLA's vote = 208

→ min. सिक्किम के MLA का मत मूल्य = 7

→ MP के मत का मूल्य = $\frac{\text{सभी MLA के मतों का कुल मूल्य}}{\text{कुल निर्वाचित MP}}$

= 708

→ V.V. गिरि के चुनाव के समय दूसरे दौर की गणना करनी पड़ी।

* V.V. गिरि पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे [निर्दलीय]

* इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया।

• नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए।

अनु. 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल

शपथ ग्रहण के बाद 5 वर्ष (महाभियोग द्वारा बीच में ही हटाया जा सकता है)

→ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति एक-दूसरे को त्याग पत्र देते हैं।

अनु. 57 पुनर्निर्वाचन

अनु. 58 योग्यताएँ

① भारत का नागरिक हो
② 35 वर्ष की आयु हो
③ लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता

अनु. 59 शर्तें

① लाभ के पद पर नहीं रह सकता

अनु. 60 शपथ

- ~~ईश्वर~~
  सत्यनिष्ठा
- संविधान व विधि - ① परिरक्षण
  ② संरक्षण
  ③ प्रतिरक्षण
- जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहना

→ भारत का CJI शपथ दिलाता है।

अनु. 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया

कारण - संविधान का अतिक्रमण

→ यह प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

→ प्रस्ताव पर सदन के $\frac{1}{4}$ सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

→ 14 दिन के नोटिस के बाद उस पर चर्चा होगी।

→ पहला सदन आरोप लगाता है और सदन के कुल सदस्यों के $\frac{2}{3}$ बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

→ प्रस्ताव पास होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है।

→ दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है।

→ जाँच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।

* राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष रख सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।

→ दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के $\frac{2}{3}$ बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है।

→ प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है।

→ महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।

→ महाभियोग की प्रक्रिया अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

<u>अनु. 62</u> राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाना चाहिए।

→ यदि चुनाव नहीं हो पाता है निवर्तमान (existing) राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक चुनाव न हो।

→ यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए (मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग) तो इस स्थिति में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ :-

① कार्यपालिका शक्तियाँ
② विधायी शक्तियाँ
③ न्यायिक शक्तियाँ
④ वित्तीय ,,
⑤ सैन्य ,,
⑥ कूटनीतिक ,,
⑦ आपातकालीन शक्तियाँ

① कार्यपालिका शक्तियाँ -

(i) संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

(ii) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा PM की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

(iii) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।

(iv) राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के सञ्चालन के लिए नियम-विनियम बना सकता है।

(v) मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है।

(vi) राष्ट्रपति PM से सूचनाएँ माँग सकता है।

(vii) राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है।

(viii) केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है।

(ix) राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।

* महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहता है।

(x) CAG की नियुक्ति करता है।

(xi) राष्ट्रपति निम्नलिखित आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है -

संवैधानिक आयोग - (a) निर्वाचन आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) UPSC
(d) संयुक्त लोक सेवा आयोग
(e) अनुसूचित जाति आयोग
(f) ST आयोग
(g) OBC आयोग → 102th CA द्वारा बनाया गया।

वैधानिक आयोग - (a) मानवाधिकार आयोग
(b) सूचना आयोग
(c) महिला आयोग
(d) अल्पसंख्यक आयोग
(e) सतर्कता आयोग

जहाँ राष्ट्रपति ↓ वहाँ PM

(xii) ये अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन करता है।

विधायी शक्तियाँ -

(i) राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत (Summon) करता है तथा उसका सत्रावसान (Prorogue) करता है।

(ii) राष्ट्रपति लोकसभा को भङ्ग कर सकता है।

(iii) राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है।

(iv) राष्ट्रपति सदन में सन्देश भेज सकता है तथा अभिभाषण (address) कर सकता है तथा विशेष अभिभाषण देता है।

(v) राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तथा लोकसभा में 2 एंग्लो-इण्डियन्स को मनोनीत कर सकता है।

(vi) यदि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(vii) यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है।

(viii) सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति लेता है (चुनाव आयोग की अनुशंसा से)

* दिल्ली व पुडुचेरी के सांसदों की अयोग्यता का निर्णय भी राष्ट्रपति करता है।

(ix) कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं।

e.g. धन विधेयक
नए राज्य के गठन का विधेयक

(x) राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है।

* जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है उसके पास 3 विकल्प होते हैं - (Art. 111)

(a) अपनी सहमति दे दे

(b) सहमति को रोकना

(c) पुनर्विचार के लिए लौटाना

(xi) राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।

(xii) राष्ट्रपति CAG, UPSC आदि के प्रतिवेदन को संसद में पेश करता है।

(xiii) राष्ट्रपति निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में शान्ति, विकास व अच्छे शासन के लिए नियम-विनियम बना सकता है -

(a) A & N द्वीप समूह

(b) दादर व नागर हवेली

(c) दमन व दीव

(d) लक्षद्वीप

* यदि पुडुचेरी में विधानसभा भंग हो तो उसके लिए भी राष्ट्रपति कानून बना सकता है।

वित्तीय शक्तियाँ-

① बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है।

② धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।

③ अनुदान की माँगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती हैं।

④ वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

⑤ संघ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है।

⑥

न्यायिक शक्तियाँ -

① राष्ट्रपति SC तथा HC के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।

② राष्ट्रपति SC से सलाह ले सकता है (Art. 143)

③ राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है।

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ-

(i) निम्न मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है :-

(a) यदि सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दण्डित किया है।

(b) यदि किसी व्यक्ति को संघीय कानून के उल्लङ्घन के लिए दण्डित किया गया है।

(c) मृत्युदण्ड के सभी मामले

(ii) राष्ट्रपति की शक्तियाँ -

I. Pardon (क्षमा) - इसके तहत व्यक्ति को पूर्णत : क्षमा किया जाता है। अर्थात् व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है।

- सजा के कारण आई अयोग्यताएँ भी समाप्त हो जाती हैं।

II. Commutation (लघुकरण)

- इसमें व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है।

e.g. मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलना
कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना

III. Remission (परिहार) -

- इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है।

e.g. 4 Y की सजा को 2 Y की सजा में बदलना

IV. Respite (विराम) -

- इसमें सजा की अवधि को भी कम किया जाता है।
  ↓ प्रकृति को बदलने के साथ-साथ

e.g. 4 साल के कठोर कारावास को 2 Y के साधारण कारावास में बदलना

- विशेष स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, गर्भवती महिला

V. Reprieve (प्रविलम्ब) -

- इसमें राष्ट्रपति सजा को कार्यरूप (execute) देने पर अस्थायी रोक लगाता है।
- सामान्यतः मृत्युदण्ड के केस में इसका प्रयोग किया जाता है।

<u>राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ</u> -

→ निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल क्षमा कर सकता है :-

① यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लङ्घन के लिए दण्डित किया गया है।

② मृत्युदण्ड के मामले में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता लेकिन इसमें लघुकरण, प्रविलम्ब आदि कर सकता है।

1987 - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर SC का निर्णय

→ SC ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धान्त बनाए हैं -

① दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।

② राष्ट्रपति प्रमाणी (साक्ष्य) का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है।

③ राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमण्डल के परामर्श पर करेगा।

④ राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

⑤ राष्ट्रपति न केवल दण्ड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है।

⑥ राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए SC द्वारा कोई भी दिशा-निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

⑦ राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सिवाए वहाँ जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेकरहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो।

⑧ जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती।

राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ -

① राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।

② राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है तथा युद्ध विराम करता है।

राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ -

① अन्य देशों के साथ सभी सन्धियाँ, समझौते आदि राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

② अन्य देशों में हमारे राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

आपातकालीन शक्तियाँ -

① राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है -

(i) राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352)

(ii) राज्यों में आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) [अनु. 356]

(iii) वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ -

① Absolute veto (आत्यंतिक वीटो)

→ यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता है अर्थात् अस्वीकार कर दे।

→ सामान्यतः यह दो स्थितियों में प्रयोग में लिया जाता है -

(i) यदि कोई निजी विधेयक हो

(ii) यदि मंत्रिपरिषद् बदल जाए

→ अब तक 2 बार इस वीटो का प्रयोग हुआ है -

(i) 1954 (Dr. Rajendra Prasaad)

* PEPSU राज्य के विनियोग विधेयक के लिए
  ↳ Patiyala and East Punjab State Union

(ii) 1991ई.(R. वेंकटरमन्ना)

* सांसदों के वेतन भत्ते से सम्बन्धित Bill

② Suspensive Veto (निलम्बनकारी वीटो)

→ यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो इसे निलम्बनकारी वीटो कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए विधेयक को निलम्बित कर सकता है।

→ यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है।

* राष्ट्रपति केवल एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

③ Pocket veto - (जेबी वीटो)

→ किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति समय सीमा से बँधा नहीं है। अतः राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न सहमति दे न उसे अस्वीकार करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए तथा विधेयक केवल राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा रहे बिना किसी प्रतिक्रिया के , इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं।

→ यह केवल एक बार प्रयोग में लिया गया - 1986 (ज्ञानी जैल सिंह) (सिक्खों में उपाधि)

* भारतीय डाक विधेयक

④ Qualifying Veto

→ यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार करता है या वापस लौटाता है तथा विधानमण्डल उस विधेयक विशेष बहुमत से पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए इसे Qualifying veto कहते हैं।

→ अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह Veto है।

✱ Pocket veto -

* अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर किसी विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति देनी होती है।
* यदि राष्ट्रपति 10 दिन तक विधेयक को रोकता है तथा इस दौरान कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाता है।

<u>अध्यादेश शक्तियाँ (राष्ट्रपति की)</u> [Art. 123]

→ यदि सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है तथा संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश (ordinance) जारी कर सकता है।

→ अध्यादेश एक अस्थाई कानून है।

→ यह संसदीय कानून की भाँति प्रभावी है।

→ ~~इसके द्वारा किसी संसदीय कानून में संशोधन किया जा सकता है।~~

→ इसका भूतलक्षी (Retrospective) क्रियान्वयन किया जा सकता है।

→ इससे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।

→ (i) यदि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

(ii) यदि एक सत्र सदन में है और दूसरा नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

(iii) यदि दोनों सदन सत्र में है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।

→ अध्यादेश की लागू रहने की अवधि -
संसद के दोनों सदनों के सत्र आरम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रहता है। उसके बाद यह स्वत: समाप्त हो जाता है।

→ लागू रहने के दौरान किए गए कार्य वैधानिक होते हैं।

D.C. वाधवा वाद 1987 ई.

* SC ने निर्णय दिया कि अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
* अर्थात् किसी अध्यादेश को संसद में पारित कराने का प्रयास किए बिना एक ही लेख के साथ बार-बार जारी नहीं किया जा सकता।

e.g. बिहार में राज्यपाल ने 1967 ई. से 1981 ई. के मध्य एक ही अध्यादेश को 256 बार जारी किया।

- ऐसा करना कार्यपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है।
- यह कार्यपालिका का विधायिका के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण है। encrochment

* <u>अध्यादेश की शक्ति असीमित नहीं है</u>

① यह अस्थायी है। क्योंकि दोनों सदन के सत्रों के आरम्भ होने के 6 सप्ताह बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

② संसद इसे पहले भी समाप्त कर सकती है।

③ जब इसे संसद के अनुमोदन के लिए रखा जाता है तो सरकार को इसे जारी करने के कारणों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है।

④ इसके जारी करने के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

⑤ न्यायालय ने माना है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

⑥ जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो मीडिया सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करता है।

38th CA, 1975 ई.

→ इसमें प्रावधान किया गया कि अध्यादेश जारी करने की तात्कालिक आवश्यकताओं पर राष्ट्रपति की सन्तुष्टि अन्तिम है तथा इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

→ 44th CA से इस संशोधन को हटा दिया।

राष्ट्रपति का निर्वाचन -

→ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है।

→ लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है।

→ विधानसभा व विधानपरिषद् के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है।

→ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है।

→ इसके लिए जमानत राशि = ₹ 15000
* ये RBI के पास जमा होते हैं।

→ 1997 से पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे तथा ₹ 2500 जमानत राशि होती थी तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन का मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है।

→ उपराष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक आवश्यक हैं।

* जमानत राशि = ₹ 15000

* 1997 से पहले प्रस्तावक व अनुमोदक = 10
जमानत राशि = ₹ 2500

* उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी = राज्यसभा का महासचिव

Q. क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प मात्र है ?

उत्तर- भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं - Nominal (नाममात्र का)
Real (वास्तविक)

→ ब्रिटिश क्राउन की भाँति राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है।

→ चूँकि ब्रिटिश क्राउन के एक रबर स्टैम्प माना जाता है। इसलिए कुछ लोग भारतीय राष्ट्रपति को भी रबर स्टैम्प कहते हैं लेकिन यह आलोचना उचित नहीं है। क्योंकि -

① भारतीय राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं।

e.g. (i) यदि आम चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति यह निर्धारित करता है कि किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए ?

(ii) यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है कि लोकसभा को भङ्ग किया जाए या किसी अन्य को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए।

(iii) यदि लोकसभा भङ्ग हो जाती है तो नीतिगत (policy) मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

(iv) राष्ट्रपति अपने विवेक से मंत्रिपरिषद् की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

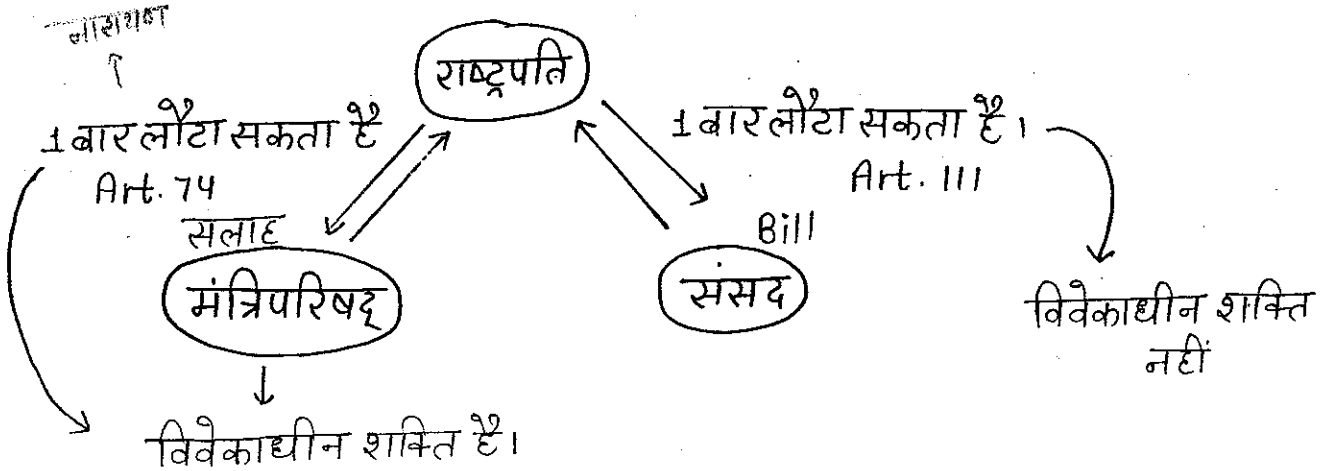

(v) राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से पहले राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि लिखित सलाह पर मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर है अथवा नहीं।

(vi) राष्ट्रपति PM से कार्यपालिका के कार्यों व विधायिका के प्रस्तावों से सम्बन्धित सूचना माँग सकता है।

(vii) यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है लेकिन मंत्रिपरिषद् ने इस पर विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति PM से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय पर मंत्रिपरिषद् में चर्चा करे।

(viii) वर्तमान में मीडिया अत्यधिक सक्रिय है तथा लोगों में राजनीतिक जागरुकता भी बढ़ रही है। इस स्थिति में राष्ट्रपति यदि कोई वक्तव्य देता है तो उसे (सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करता है) गम्भीरता से लिया जाता है तथा सरकार पर इससे नैतिक दबाव उत्पन्न होता है।

(ix) गठबन्धन (coalition) की राजनीति में प्रायः राष्ट्रपति एक से अधिक दलों के समर्थन से निर्वाचित होता है। इसलिए उस पर किसी एक दल का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए वह अधिक रचनात्मक ढङ्ग (रूप) से कार्य कर सकता है।

e.g. Dr. A.P.J. Abdul Kalam

→ उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैम्प मात्र नहीं है।

← उपराष्ट्रपति →

अनु. 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनु. 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

→ उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है।

* अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी सीनेट (Senate) का पदेन सभापति होता है।
* यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए (मृत्यु, महाभियोग etc.) तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल को पूरा करता है जबकि भारत में ऐसा नहीं है।

अनु. 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है।

अनु. 66 (i) निर्वाचक गण्डल :- लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत दोनों)

(ii) निर्वाचन की पद्धति :- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा

(iii) उपराष्ट्रपति पद के लिए (50% + 1) मत प्राप्त होना चाहिए।

(iv) योग्यताएँ व शर्तें

अनु. 67 कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया

* शपथ ग्रहण के बाद 5 वर्ष
* हटाने की प्रक्रिया -

- उपराष्ट्रपति को हटाने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- 14 दिन के नोटिस के बाद हाउस इस पर चर्चा करता है।
- चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता लेकिन वह सदन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है (Presiding officer), वह बोल सकता है तथा अपना पक्ष रख सकता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता।
  (क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता)
- यह प्रस्ताव सदन में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।
  (प्रभावी बहुमत)
- यह इसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है।
- लोकसभा में यह साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

अनु. 68 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले उप राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।

* यदि आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए (मृत्यु, त्यागपत्र द्वारा) तो यथाशीघ्र अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए।
[6 माह की बाध्यता नहीं]

अनु. 69 शपथ

साधारण बहुमत = उपस्थित सदस्यों का बहुमत

पूर्ण बहुमत = कुल सदस्यों का बहुमत

प्रभावी बहुमत = तत्कालीन सदस्यों का बहुमत

तत्कालीन सदस्य = कुल सदस्य - रिक्त स्थान

विशेष बहुमत ⇒ 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए -

① कुल सदस्यों का बहुमत

② उपस्थित सदस्यों का $\frac{2}{3}$ बहुमत

अनु. 70 अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

→ संसद इसके लिए प्रावधान करेगी।

→ संसद ने 1969ई.में अधिनियम पारित किया तथा यह प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

→ यदि CJI का पद रिक्त है तो SC का वरिष्ठतम न्यायाधीश (30 में से)

अनु. 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति (के चुनाव) से सम्बन्धित विवादों की सुनवाई केवल SC में की जा सकती है।

अनु. 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ

अनु. 73 संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार

अनु. 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी।

* इसका प्रधान PM होगा।
* 42th CA से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करेगा।

* राष्ट्रपति एकबार मंत्रिपरिषद् की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है [44th CA]

अनु. 75 (i) राष्ट्रपति PM की नियुक्ति करेगा तथा PM की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।

(i)(a) मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15 % से अधिक नहीं होनी चाहिए [91st CA]

(i) (b) दल-बदल का दोषी (culprit) व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता [91st CA]

- वह नया चुनाव जीतकर या अगली लोकसभा के कार्यकाल में मंत्री बन सकता है।

(ii) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहता है।

(iii) मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

(iv) कोई मंत्री यदि 6 माह में संसद का सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा।

अनु. 76 महान्यायवादी

अनु. 77 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा।

राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के सुचारु रूप से सञ्चालन के लिए नियम-विनियम बना सकता है।

☆ इसी के तहत राष्ट्रपति 4 प्रकार के मंत्री ~~मनोनीत~~ नियुक्त करता है-

(i) कैबिनेट मंत्री

(ii) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(iii) राज्य मंत्री

(iv) उपमंत्री

→ मंत्रिपरिषद् के सभी फैसले मंत्रिमण्डल (Cabinet) द्वारा लिए जाते हैं।
↓
सभी Cabinet minister

→ राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर सकता है।

अनु. 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में PM के कर्त्तव्य

→ PM का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

(a) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे

(b) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे

(c) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।

विधायिका

Art. 79-123

अनु. 79 संसद - राष्ट्रपति
राज्यसभा
लोकसभा

* राष्ट्रपति संसद का भाग है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता।

अनु. 80 राज्यसभा

* पहले इसका नाम राज्य परिषद् था।
* 1954 में इसका नाम राज्यसभा रख दिया गया।
* इसके अन्य नाम -

(i) उच्च सदन
(ii) स्थायी सदन
(iii) द्वितीय चैम्बर
(iv) प्रबुद्ध सदन

* इसके सदस्य -

max. = 250
वर्तमान सदस्य = 245

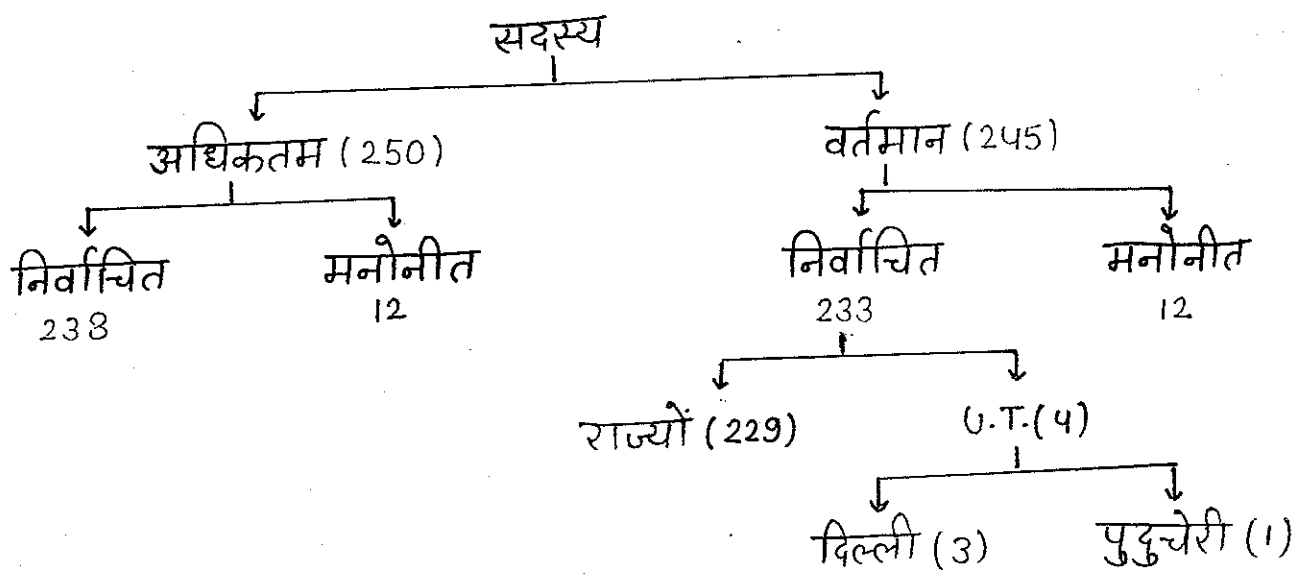

→ 5 U.T. का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है।

→ 8 राज्यों से 1-1 प्रतिनिधि हैं:-

(i) सिक्किम
(ii) गोवा
(iii) मेघालय
(iv) त्रिपुरा
(v) मिजोरम
(vi) मणिपुर
(vii) नागालैण्ड
(viii) अरुणाचल प्रदेश

→ हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड से 3-3 प्रतिनिधि हैं।

→ max. from U.P. = 31

→ From RAJASTHAN = 10

→ इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।

→ निर्वाचक मण्डल = विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

→ निर्वाचन पद्धति = आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा

→ सदस्यों का कार्यकाल = 6 Y

* $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

→ राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढाँचे का प्रतिनिधित्व करती है।

→ यह House of Lords and Senate का मिश्रित रूप है।

अमेरिकी सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

* 50 राज्यों में से प्रत्येक से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित
∴ Total members of Senate = 100

→ लेकिन राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है।

राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ -

अनु. 249
→ राज्यसभा $\frac{2}{3}$ बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है।

* यह कानून 1 साल तक लागू रहता है।

अनु. 312 राज्यसभा $\frac{2}{3}$ बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ सृजित करने की अनुमति दे सकती है।

* वर्तमान में 3 All India Services हैं -

(i) IAS (ICS)
(ii) IPS (IP)
(iii) IFS → 1966 में सृजित की गई।

अनु. 67 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।

अनु. 81 लोकसभा

→ लोकसभा का पहले नाम House of People था।
→ 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया।
→ इसके अन्य नाम = निम्न सदन
अस्थाई सदन
First Chamber (प्रथम कक्ष)
लोकप्रिय सदन
* जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित

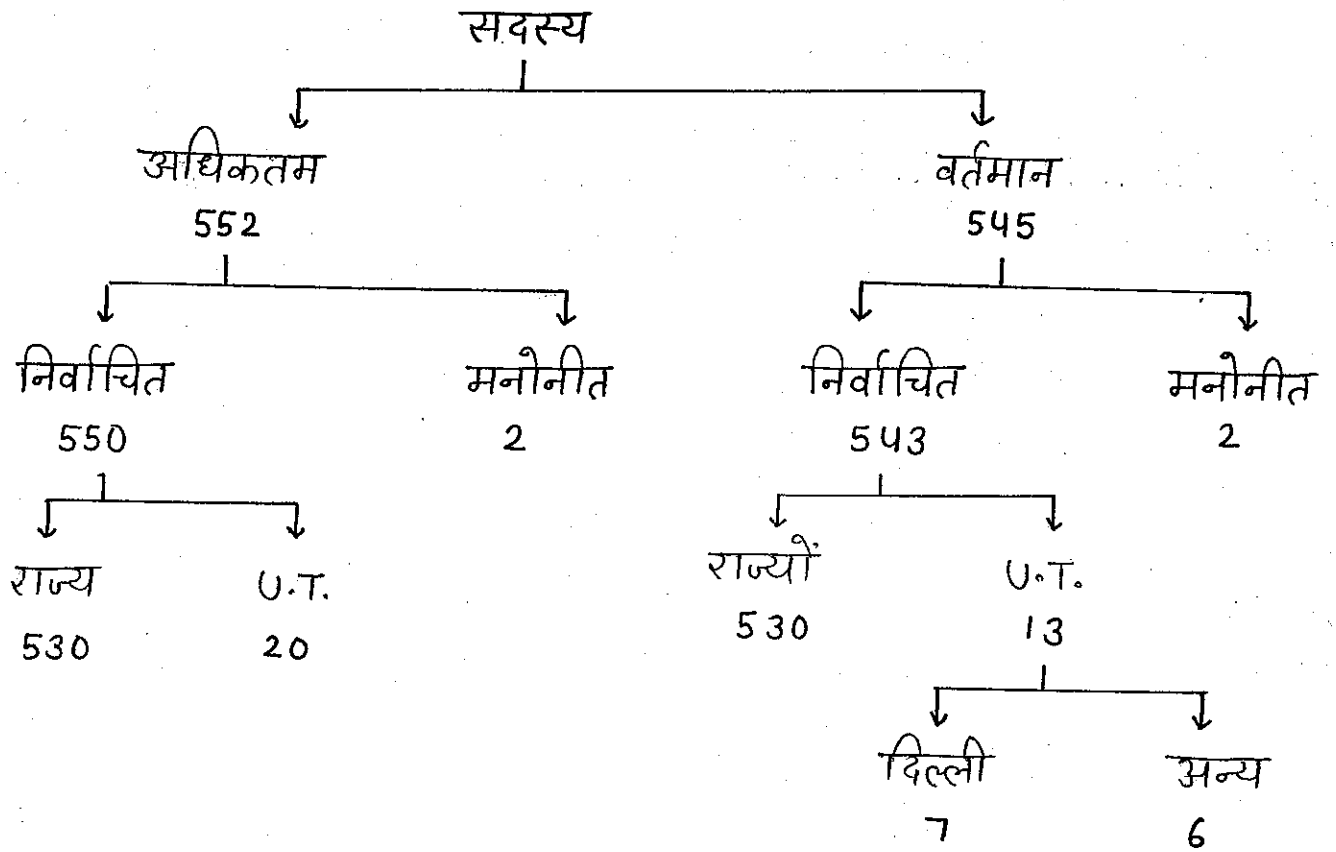

→ 6 U.T. से एक-एक प्रतिनिधि है।

→ निम्नलिखित राज्यों से एक-एक प्रतिनिधि है -

(i) सिक्किम
(ii) नागालैण्ड
(iii) मिजोरम

→ निम्नलिखित 5 राज्यों से दो-दो प्रतिनिधि है -

(i) गोवा
(ii) अरुणाचल प्रदेश
(iii) मेघालय
(iv) त्रिपुरा
(v) मणिपुर

→ max. from U.P. = 80

→ From RAJASTHAN = 25

→ लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है।

→ निर्वाचन पद्धति = अग्रेता ही विजेता

लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ -

① मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा यह मंत्रिपरिषद् को हटा सकती है।

② अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

③ बजट लोकसभा में पेश किया जाता है।

④ धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है।

⑤ अनुदान की माँगें लोकसभा में पेश की जाती हैं।

⑥ लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है।

⑦ संख्या बल के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा अधिक प्रभावी होती है।

⑧ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

⑨ संयुक्त ~~अध~~ बैठक में लोकसभा के नियम-विनियम लागू होते हैं।

अनु. 82 परिसीमन आयोग

→ परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।

→ संसद इसके लिए विधि निर्माण करती है।

→ परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

→ प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।

→ अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है-

(i) 1952

(ii) 1962

(iii) 1972

(iv) 2002

→ 42^th CA के द्वारा सन् 2001 ई. तक लोकसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया।

→ 84^th CA (2001) के द्वारा 2026 ई. तक लोकसभा की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया।

→ 2026 ई. के पश्चात् जब तक अगली जनगणना के आँकड़े नहीं आते हैं तब तक लोकसभा सीटों का पुनर्समायोजन नहीं किया जाएगा।

* इसके साथ ही इस संशोधन (84^th) में 4^th परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था जो कि राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना राज्य के भीतर 1991 ई. की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन करेगा तथा 1991 ई. की जनगणना के आधार पर SC व ST के लिए आरक्षित सीटों को पुनर्निर्धारित करेगा।

→ 87^th CA :- 4^th परिसीमन आयोग 1991 ई. की बजाय 2001 ई. की जनगणना के आँकड़ों का प्रयोग करेगा।

★ 4^th परिसीमन आयोग-

* 2002 में गठन किया गया।
* अध्यक्ष = Justice Kuldeep Singh
* इसने 22 राज्यों व 2 U.T. में परिसीमन किया।

* 6 राज्य जहाँ परिसीमन नहीं हुआ -

(i) J & K
(ii) झारखण्ड
(iii) Assam
(iv) अरुणाचल प्रदेश
(v) नागालैण्ड
(vi) मणिपुर

* इसने 2008 ई. में अपनी अनुशंसा दी।
* 2009 में चुनाव इसी अनुशंसा के आधार पर किए गए।
* SC के लिए 84 तथा ST के लिए 47 Seats रिजर्व
* In RAJASTHAN -

for SC = 4 (बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर-करौली)

Reserved seats for ST = 3 (बाँसवाड़ा - डूँगरपुर
उदयपुर
दौसा)

अनु. 83 संसद के सदनों का कार्यकाल

→ लोकसभा का कार्यकाल = 5 वर्ष
* राष्ट्रपति इसे भङ्ग कर सकता है।
* राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। [संसद विधि के द्वारा]

→ राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता इसलिए यह स्थायी सदन है।

अनु. 84 योग्यताएँ

① भारत का नागरिक हो

② आयुसीमा :

लोकसभा के लिए = 25 Y

राज्यसभा " " = 30 Y

Voter list = Electoral role

③ किसी भी राज्य की मतदाता सूची में इसका नाम हो

★ पहले राज्यसभा के लिए यह शर्त थी कि उसी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ↳ 2003 में समाप्त वाजपेयी सरकार

★ गोपनीय मत

अनु. 85 संसद के सत्र

→ राष्ट्रपति सत्र बुलाता है तथा सत्र का अवसान करता है।

→ दो सत्र के बीच 6 माह का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

→ बुलाए जाने वाले सत्र -

① बजट सत्र

② मानसून सत्र

③ शीतकालीन सत्र

→ विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।

अनु. 86 राष्ट्रपति संसद को सन्देश भेज सकता है तथा अभिभाषण कर सकता है।

अनु. 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का अधिकार

→ राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर अभिभाषण करता है।

→ राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आम चुनावों के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में दिया गया अभिभाषण विशेष अभिभाषण कहलाता है।

अनु. 88 (i) मंत्री व महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं।

→ लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है।

(ii) मंत्री व महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की समितियों के सदस्य बन सकते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष (SPEAKER)

→ स्पीकर का पद भारत सरकार अधिनियम 1919 ई. के द्वारा सृजित किया गया।

* 1921 ई. में फ्रेडरिक व्हाइट पहले व्यक्ति थे जो स्पीकर निर्वाचित हुए।
* सच्चिदानन्द सिन्हा पहले Deputy Speaker थे।
* 1925 ई. में विठ्ठल भाई पटेल (स्वराज्य पार्टी) प्रथम भारतीय Speaker थे।

→ आजादी के बाद पहले Speaker = G.V. मावलंकर

विशिष्ट शक्तियाँ -

① लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
② लोकसभा के नियमों को लागू करवाता है।
③ लोकसभा के सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है।
④ लोकसभा के सदस्यों को निलम्बित / बर्खास्त कर सकता है।
⑤ यदि लोकसभा में बराबर मत हो तो यह निर्णायक मत दे सकता है।
⑥ कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कर सकता है, इसका निर्णय अन्तिम होता है।

⑦ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

⑧ दल-बदल के दोषी का निर्णय करता है।

⑨ विदेशों में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करता है।

स्पीकर का निर्वाचन -

→ लोकसभा के सदस्य यथाशीघ्र अपने में से स्पीकर का निर्वाचन करते हैं।

कार्यकाल -

→ लोकसभा का विघटन होने के बाद भी स्पीकर का पद रिक्त नहीं होता है।

* बल्कि वह अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।

→ लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एक-दूसरे को त्याग-पत्र देते हैं।

स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया -

→ हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा 14 दिन के नोटिस के बाद चर्चा कर सकती है।

→ जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा होती है अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता लेकिन वह चर्चा में भाग ले सकता है।

→ वह सामान्य मत दे सकता है परन्तु निर्णायक मत नहीं दे सकता।

Protem Speaker - [अनु. 99 में अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख]

→ लोकसभा के आम चुनावों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है।

→ सामान्यतया वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है।

→ इसके 2 कार्य होते हैं -

(i) लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना

(ii) अध्यक्ष का चुनाव करवाना

→ अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वत: समाप्त हो जाता है।

→ 17th लोकसभा में Dr. वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया।

लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

→ इसके निर्वाचन तथा हटाने की प्रक्रिया स्पीकर के समान होती है।

→ स्पीकर की अनुपस्थिति लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है।

→ जब वह बैठकों की अध्यक्षता करता है तब उसके पास स्पीकर के समान शक्तियाँ होती हैं।

10 सदस्यों का Pannel

→ यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो इस स्थिति में इस पैनल के सदस्य अपने अनुक्रम के आधार पर बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

→ यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रपति किसी एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है।

राज्यसभा का सभापति

→ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

→ इसकी शक्तियाँ लगभग स्पीकर के समान ही होती है।

अपवाद -

(i) धन विधेयक

(ii) संयुक्त बैठक

(iii) संसदीय प्रतिनिधि दल

राज्यसभा का उपसभापति

→ इसकी निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया स्पीकर तथा लोकसभा उपाध्यक्ष के समान होती है।

→ सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उस समय इसके पास चेयरमैन के समान शक्तियाँ होती हैं।

सदस्यों का पैनल

→ इस पैनल में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती।

→ यदि सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं तो इस पैनल के सदस्य अपने अनुक्रम के आधार पर बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

→ <u>सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हैं</u> तो राष्ट्रपति सदस्यों में से किसी को अस्थायी सभापति नियुक्त करता है।

राज्यसभा	लोकसभा
अनु. 89 < सभापति – पदेन उपसभापति – निर्वाचन	अनु. 93 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष – निर्वाचन
अनु. 90 उपसभापति-कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया	अनु. 94 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष - कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया
अनु. 91 < अनुपस्थित हो दोनों पद रिक्त हों	अनु. 95 < Ab. – पैनल दोनों पद रिक्त – राष्ट्रपति
अनु. 92 पीठासीन अधिकारी नहीं होगा	अनु. 96 पीठासीन अधिकारी नहीं

सदन का नेता

→ PM जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है तथा दूसरे सदन में PM किसी ~~दूसरे~~ कैबिनेट मंत्री को सदन का नेता नियुक्त करता है।

→ राज्यसभा का नेता = थावर चन्द गहलोत

विपक्ष का नेता

→ यह पद 1969 ई. में सृजित किया गया।

→ 1977 ई. में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया।

→ इसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया।

* कैबिनेट मंत्री के समान इसे भत्ते व सुविधाएँ दी जाती हैं।

विपक्षी दल

→ विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल के पास सदन में कम से कम 10 % सीट होनी चाहिए।

WHIP

→ प्रत्येक राजनीतिक दल सदन में अपना एक सचेतक नियुक्त करता है।
→ सचेतक सदन में अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करता है।
→ सभी सदस्यों को व्हिप की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है।
→ यदि कोई व्हिप का उल्लंघन करता है तथा उसका दल उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करता है तो वह दल-बदल का दोषी माना जाता है तथा सदन में उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।

SHADOW CABINET

→ यह ब्रिटेन की परम्परा है जहाँ विपक्ष छाया मंत्रिमण्डल की घोषणा करता है ताकि जनता वास्तविक मंत्री व छाया मंत्री के बीच तुलना कर सके।
→ यह सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करने के लिए होता है।
→ Raj. में

KITCHEN CABINET

→ PM व उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाते हैं।
→ यह एक अनौपचारिक शब्द है जो सामान्यतया मीडिया के द्वारा प्रयोग में ली जाती है।

त्रिशंकु संसद (Hung Parliament)

→ यदि लोकसभा व विधानसभा के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इस स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं।

Lame Duck Session

→ अगली लोकसभा के चुनाव के बाद निवर्तमान लोकसभा का सत्र लेम उक सेशन कहलाता है।

अनु. 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते

अनु. 98 राज्यसभा व लोकसभा के लिए सचिवालय

अनु. 99 राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेकर ही कोई सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है।

अनु. 100 गणपूर्ति (Quorum)

→ संविधान में 10 % का प्रावधान है जबकि लोकसभा - राज्यसभा के नियमानुसार $\frac{1}{3^{rd}}$ सदस्य होने चाहिए।

अनु. 101 स्थानों का रिक्त होना

① यदि कोई व्यक्ति लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है, 10 दिन के भीतर उसे 1 स्थान रिक्त करना होता है अन्यथा उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी।

② यदि कोई व्यक्ति पहले एक सदन का सदस्य है तथा बाद में दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित होता है तो पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

③ यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीट से निर्वाचित होता है, 10 दिन के भीतर उसे 1 स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसके दोनों स्थान रिक्त हो जाएगें।

④ यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा व संसद/लोकसभा का सदस्य एक साथ निर्वाचित होता है तो 14 दिन के भीतर उसे 1 स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसकी संसद की सीट रिक्त हो जाएगी।

⑤ यदि कोई सांसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

⑥ यदि कोई सांसद राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

⑦ यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है (5 दिन तथा इससे अधिक का अवकाश शामिल नहीं किया जाता) तो उसकी ...

⑧ न्यायालय किसी के चुनाव को रद्द घोषित कर दे तो ...

⑨ यदि कोई सांसद दल-बदल को दोषी है तो ...

Article 102

→ अयोग्यताएँ :-

(i) यदि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किया हो
किसी व्यक्ति ने University के Prof. लड़ सकते हैं।

(ii) मानसिक रूप से न्यायालय द्वारा विकृत घोषित

(iii) यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका हो

(iv) यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहे

(v) संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएँ

* संसद ने इसके लिए 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ई.' पारित किया।

* इस अधिनियम में निम्नलिखित अयोग्यताएँ निर्धारित की गई हैं-

① वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो।

② उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो परन्तु प्रतिबन्धात्मक निषेध विधि के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का बन्दीकरण निरर्हता नहीं है।

③ वह निर्धारित समय के अन्दर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो।

④ उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो।

⑤ वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबन्ध निदेशक के पद पर न हो, जिसमें सरकार का 25 % हिस्सा हो

⑥ उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो।

⑦ उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दण्डित न किया गया हो।

⑧ ~~उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार~~ और संलिप्त न पाया गया हो।

* किसी सदस्य में उपरोक्त निरर्हताओं सम्बन्धी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अन्तिम होगा यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए।

Article 103 सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है।

* चुनाव आयोग की सलाह से

Article 104

→ 500 Rupees charge per day

Article 105

→ संसद के सदनों, सदस्यों व समितियों के विशेषाधिकार

सामूहिक विशेषाधिकार -

* संसद के दोनों सदनों के सम्बन्ध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न हैं -

① इसे अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 ई. के 44th CAA ने संसद की पूर्वानुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया किन्तु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है।

② यह अपनी कार्यवाही से व्यक्तियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार-विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है।

③ यह अपनी कार्यवाही के सञ्चालन, कार्य के प्रबन्ध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है।

④ यह सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निन्दित, चेतावनी या कारावास द्वारा दण्ड दे सकती है। (सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी)

⑤ इसे किसी सदस्य की बन्दी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति सम्बन्धी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

⑥ यह जाँच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा सम्बन्धित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है।

⑦ न्यायालय, सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जाँच के लिए निषेधित है।

⑧ सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति (सदस्य या बाहरी व्यक्ति) बन्दी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्यवाही (सिविल या आपराधिक) की जा सकती है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार -

* व्यक्तिगत विशेषाधिकार निम्न हैं-

① उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से ५० दिन पूर्व तथा बन्द होने के ५० दिन बाद तक बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबन्धात्मक निषेध मामलों में नहीं।

② उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता, संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्यवाही के नियम एवं स्थायी आदेश के सञ्चालन से सम्बन्धित है।

③ वे न्यायनिर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लम्बित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं।

Article 106 सांसदों के वेतन भत्ते

Article 107 साधारण विधेयक की प्रक्रिया

→ साधारण विधेयक 2 प्रकार का होता है -

① निजी विधेयक → सांसद

② सरकारी " → मंत्री

→ साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

→ विधेयक जब किसी सदन में पेश किया जाता है तो इसे 3 पठन में पारित किया जाता है :-

प्रथम पठन -

* मंत्री विधेयक पेश करता है।
* विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है।
* विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती।
* विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जाता।
* ☆ यदि विधेयक पहले सरकारी गजट (Gazette) में प्रकाशित किया जाता है तो इसे ही प्रथम पठन मान लिया जाता है।

द्वितीय पठन -

* द्वितीय पठन में 3 चरण होते हैं -

(i) सामान्य चर्चा :-

- विधेयक पर सदन में चर्चा की जाए
- विधेयक प्रवर समिति (Select committee) को सौंपा जाए
- विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाए
- जनता की राय जानने के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित

(ii) समिति स्तर :-

(a) समिति विधेयक को भागों में बाँटती है

(b) प्रत्येक भाग पर चर्चा करती है

(c) यथाआवश्यक संशोधन करती है

(iii) विचार-विमर्श :-

(a) सदन प्रत्येक भाग पर चर्चा करता है

(b) यथाआवश्यक संशोधन करता है

(c) प्रत्येक भाग को मतदान द्वारा पारित करता है

तृतीय पठन -

* सदन विधेयक पर चर्चा करता है लेकिन अब संशोधन नहीं किया जाता।
* व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।
* सदन विधेयक को पारित करता है।
→* पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है।
→ दूसरे सदन में इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है।
→ यदि दूसरा सदन विधेयक में कोई संशोधन करता है तब बिल को पुनः प्रथम सदन में भेजा जाता है।
→ विधेयक दोनों सदनों में एक ही रूप में पारित होना चाहिए।
→ विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जाता है।
→ दूसरा सदन विधेयक को max. 6 माह तक रोक सकता है।

Article 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

→ यदि एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

→ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

अध्यक्ष
⇓
उपाध्यक्ष
⇓
उपसभापति
⇓
सदस्य स्वयं में से किसी को

→ संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों को लागू किया जाता है।

→ अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है -

(i) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ई. (बैठक 1962 ई. में आयोजित)

(ii) बैंक सेवा आयोग (निरसन) अधिनियम 1977 ई. (बैठक 1978 ई.)
Prohibition

(iii) आतंकवाद निवारक अधिनियम (POTA) 2002 ई. (बैठक 2002 ई.)
(Prevention of Terrorism Act)

अनु. 109 & 110 धन विधेयक
क्रिया ↙ ↘ परिभाषा

परिभाषा -

(i) कर

(ii) ऋण

(iii) सञ्चित निधि व आकस्मिक निधि की प्रतिरक्षा
(Protection)

(iv) सञ्चित निधि से धन का विनियोग

(v) संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना

(vi) संचित निधि व लोक लेखा की अभिरक्षा (Protection)

(vii) उपर्युक्त से सम्बन्धित प्रावधान

→ यदि किसी विधेयक में केवल इन प्रावधानों का उल्लेख हो तथा इसमें अन्य किसी बात का उल्लेख नहीं हो तो उसे धन विधेयक कहते हैं।

→ कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय केवल स्पीकर करता है।

Art. 109 धन विधेयक की प्रक्रिया

→ धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है।

→ इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।

→ इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

→ ~~स्पीकर यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।~~

→ स्पीकर का निर्णय अन्तिम होता है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

→ विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है।

→ राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।

→ राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती।

→ max. 14 दिन तक रोक सकती है।

→ राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है लेकिन लोकसभा के लिए ये सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं।

→ विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

→ राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।

अनु. 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति

अनु. 112 बजट

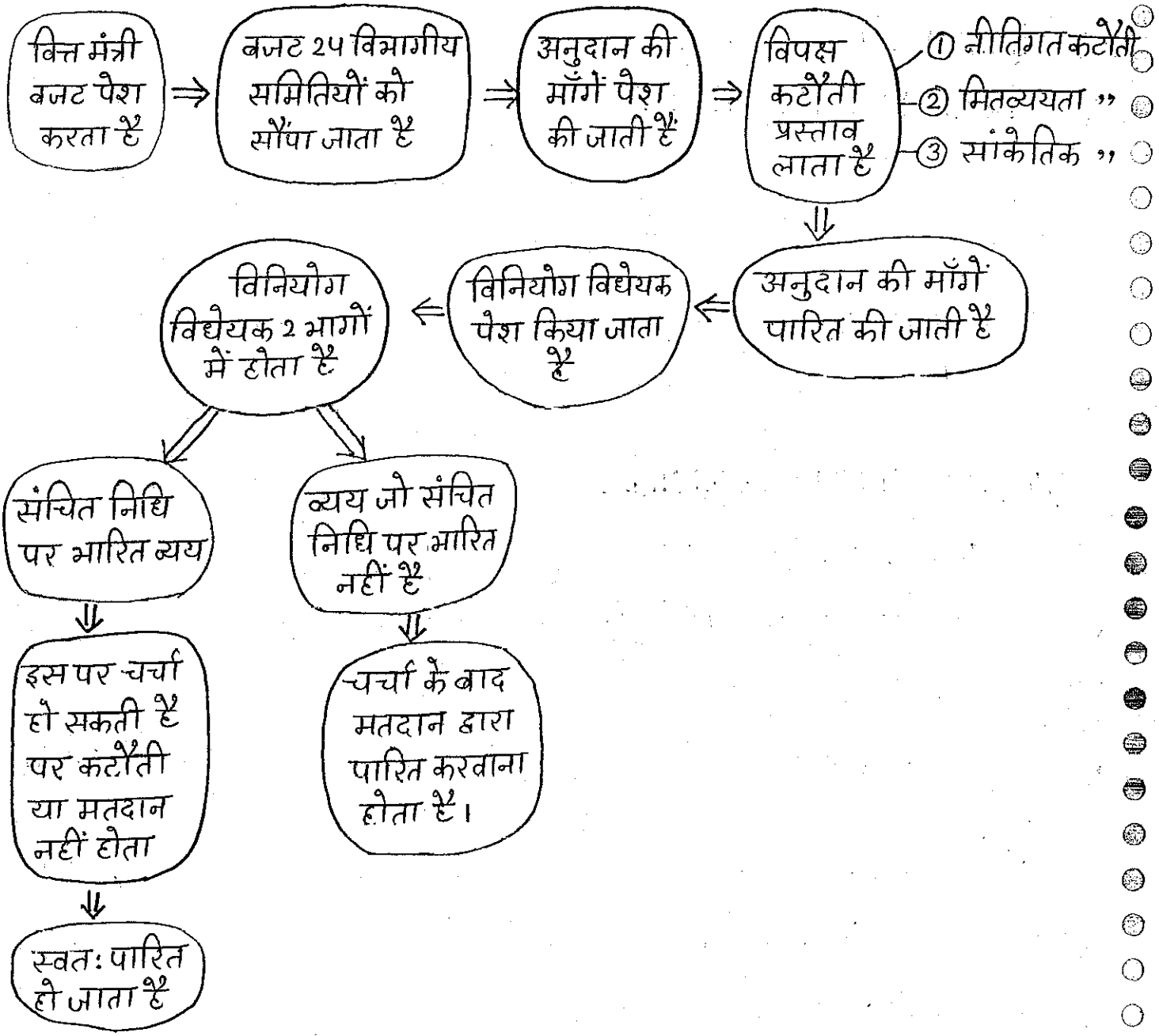

<u>कटौती प्रस्ताव</u> -

① <u>नीतिगत कटौती</u> -

→ इस प्रस्ताव में सरकार की सम्पूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है।

→ अनुदान की माँग को घटाकर ₹1 कर दिया जाता है।

② मितव्ययता कटौती -

→ इस प्रस्ताव में बजट की फिजूलखर्चियों को उजागर किया जाता है तथा मितव्ययता बरतने पर बल दिया जाता है तथा अनुदान की माँग में कटौती की राशि कितनी भी हो सकती है।

③ सांकेतिक कटौती -

→ इसके तहत सरकार के किसी कार्य या योजना विशेष की आलोचना की जाती है तथा उसके अनुदान में ₹ 100 की कटौती की माँग की जाती है।

अनु. 112 वार्षिक वित्तीय विवरण

अनु. 113 अनुदान की माँगें

अनु. 114 विनियोग विधेयक

अनु. 115 अनुपूरक अनुदान

* यदि किसी सेवा पर बजट में आवण्टित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है।
* राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।

अतिरिक्त अनुदान

* ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं था लेकिन कालान्तर में सरकार को उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है।
* राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।

अधिक अनुदान

* यदि सरकार किसी सेवा पर ~~बजट~~ वित्त वर्ष के दौरान बजट में आवण्टित की गई धनराशि से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति में अगले

वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है।

* इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के साथ-साथ लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति भी आवश्यक होती है।

अनु. 116

(i) लेखानुदान

→ जिस वर्ष बजट 31 मार्च के बाद पारित होता है तब अल्पकालिक अनिवार्य खर्चों की अनुमति लेखानुदान के माध्यम से ली जाती है।

→ इसकी वैधता 2-4 महीने की होती है।

→ इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है।

(ii) प्रत्यय अनुदान (Vote of credit)

→ यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्यय अनुदान पेश किया जाता है।

→ प्रत्यय अनुदान में धन की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता।

(iii) अपवादानुदान (Exceptional Grant)

→ ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में <u>प्रावधान नहीं</u> होता है उसके लिए यदि धन की आवश्यकता हो तो अपवादानुदान पेश किया जाता है।

→ इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती [एकमात्र]

अनु. 117

वित्त विधेयक

Art. 110	Art. 117 (1)	Art. 117 (3)
धन विधेयक	* यदि किसी विधेयक में अनु. 110 के प्रावधान हो तथा साथ में अन्य प्रावधान भी हो	* यदि किसी विधेयक में अनु. 110 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है लेकिन संचित निधि से सम्बन्धित कोई अन्य प्रावधान हो
यदि किसी विधेयक में केवल अनु. 110 के प्रावधान है अन्य कोई प्रावधान नहीं	*(i) इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश	* इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है।
	(ii) केवल लोकसभा में पेश	* इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सदन इस पर चर्चा आरम्भ करता है।
	(iii) इसके बाद यह साधारण विधेयक की भाँति पारित	

अनु. 118 * राज्यसभा में 11-12 शून्यकाल, 12-01 प्रश्नकाल

→ संसद अपनी कार्यवाही के सञ्चालन के लिए नियम-विनियम बना सकती है।

→ 11 A.M. - 12 P.M. तक प्रश्नकाल होता है।

→ 12:00 p.m. - 01:00 p.m. तक शून्यकाल ⇒ यह भारतीय नवाचार है।

→ 01:00 p.m. - 02:00 p.m. तक lunch time

→ 02:00 p.m. के बाद विधेयकों व प्रस्तावों पर चर्चा होती है।

प्रश्नों के प्रकार -

① तारांकित प्रश्न - वे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है अतः इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

② अताराङ्कित प्रश्न -

→ इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है। अतः इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

→ तारांकित व अताराङ्कित श्रेणी में प्रश्नों को स्पीकर/सभापति विभाजित करता है।

③ अल्प सूचना प्रश्न -

→ सामान्यतया 10 दिन के नोटिस के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यदि कोई अत्यावश्यक प्रश्न है तो इसे कम नोटिस पर भी पूछा जा सकता है।

→ इस प्रकार के प्रश्न मंत्री की सहमति के बाद स्पीकर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

<u>महत्वपूर्ण प्रस्ताव</u> -

① <u>विश्वास प्रस्ताव</u> -

→ इसे सत्तापक्ष द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।

→ अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए

→ सामान्यतया गठबन्धन की सरकार में इसकी आवश्यकता होती है।

② <u>अविश्वास प्रस्ताव</u> -

→ यह विपक्ष के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।

→ इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

→ इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

→ यह पूरी मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध होता है।

→ यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होता है।

③ निन्दक (Censure) प्रस्ताव -

→ इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

→ ∵ मंत्रिपरिषद् केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अतः मंत्रिपरिषद् की निन्दा का अधिकार केवल लोकसभा के पास है।

→ विपक्ष के द्वारा लाया जाता है।

→ 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

→ निन्दा का कारण बताना होता है।

→ ये किसी एक मंत्री अथवा पूरी मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध हो सकता है।

→ यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता।

④ स्थगन प्रस्ताव (Adjournment)

→ इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। क्योंकि इसमें सरकार की निन्दा का अंश होता है।

→ 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

→ यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है।

→ स्थगन प्रस्ताव में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए -

(i) किसी एक विषय पर होना चाहिए।

(ii) विषय स्पष्ट व तथ्यात्मक होना चाहिए।

(iii) लोक महत्व का विषय होना चाहिए।

(iv) जिस पर तत्काल चर्चा आवश्यक हो।

→ यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता।

⑤ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention motion)

→ यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है जिससे जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं, इस पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है।

→ इसमें चर्चा नहीं होती है केवल सम्बन्धित मंत्री उस पर अपना वक्तव्य देता है।

→ इसमें मतदान का भी प्रावधान नहीं है।

→ एक दिन में max. 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।

→ एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 5 सदस्यों के नाम हो सकते हैं।

⑥ अल्पकालीन चर्चा (Short duration discussion)

→ निजी सदस्य के द्वारा लाया जाता है।

→ इस पर 2 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

→ किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है।

→ इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति (business advisory) की पूर्वानुमति होनी चाहिए।

→ इसके लिए चर्चा का समय निश्चित है - $2\frac{1}{2}$ Hours

* इसलिए इसे अल्पकालीन चर्चा कहते हैं।

⑦ <u>Rule - 377</u>

→ यह लोकसभा का नियम है।

→ लोक महत्व का कोई विषय जिसे प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्प कालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है; उसे इस नियम के तहत उठाया जा सकता है।

→ इसके तहत एक दिन में 20 विषय उठाए जा सकते हैं।

→ इसमें मंत्री के उपस्थिति व उसके वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होती।

लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर प्रभाव -

→ यदि कोई विधेयक लोकसभा के सम्पर्क में आ जाता है तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है [पारित या पेश]

→ यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो वह समाप्त नहीं होता है -
विचाराधीन है
लौटाया गया है
संयुक्त बैठक बुलाई है

संसदीय समितियाँ

→ संसदीय समितियों का उद्भव ब्रिटेन से हुआ है।

→ वर्तमान में इनका अधिक प्रयोग अमेरिका में होता है।

→ भारत में इनका प्रावधान 'भारत सरकार अधिनियम 1919 ई.' से हुआ।

→ 1921 ई. में पहली बार भारत में संसदीय समितियों का गठन किया गया।

→ संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं -

① स्थाई

② अस्थाई

→ समितियों में गणपूर्ति के लिए $1/3^{rd}$ सदस्य होने चाहिए।

संसदीय समितियों का महत्व -

① यह कार्य विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है।

* संसद के पास उत्तरदायित्व अधिक है जबकि समय का अभाव होता है लेकिन समितियों के माध्यम से उत्तरदायित्वों को बाँट दिया जाता है।

* इससे कार्यों का निपटारा शीघ्र होता है।

② विशेषज्ञता को प्रोत्साहन

→ किसी उद्देश्य विशेष के लिए समिति का गठन किया जाता है तो उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाता है जो उस क्षेत्र के सदस्य होते हैं।

③ गोपनीयता को बनाए रखने में सहायक है।

* संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक संवेदनशील विषयों पर चर्चा करनी होती है जिसे खुले सदन में नहीं की जा सकती पर संसदीय समितियों में इन पर चर्चा की जा सकती है।

④ सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के मध्य आपसी सामञ्जस्य व सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

⑤ लोकसभा व राज्यसभा के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि अनेक समितियों में दोनों सदनों से सदस्य होते हैं।

संसद की स्थायी समितियाँ

① प्राक्कलन समिति (Estimate committee)

→ 30 सदस्य होते हैं।

→ सभी सदस्य लोकसभा से

→ निर्वाचन = आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से

→ मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता

→ कार्यकाल = 1 Year

→ कार्य = 1. बजट के प्रावधानों की समीक्षा करना
2. उसकी अनियमितताओं को उजागर करना

② लोक लेखा समिति (Public Account committee)

→ सदस्य = 22

15 लोकसभा, 7 राज्यसभा

→ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित

→ अध्यक्ष = विपक्षी दल से

→ मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता

→ कार्यकाल = 1 Year

→ कार्य – (i) CAG के सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना

(ii) यह देखना कि बजट के प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया है अथवा नहीं

(iii) बजट के क्रियान्वयन की अनियमितताओं को उजागर करना

③ लोक उपक्रम समिति (Public Sector Undertakings Committee)

→ सदस्य = 22 (15 + 7)

→ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित

→ मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता ।

→ कार्यकाल = 1 Year

→ कार्य -

(i) CAG द्वारा दी गई P.S.U. Report की समीक्षा करना

④ कार्य मंत्रणा समिति -

→ लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग - अलग समितियाँ होती हैं।

→ लोकसभा की समिति में सदस्य = 15

* इसका अध्यक्ष = Speaker

→ राज्यसभा की समिति में सदस्य = 11

* अध्यक्ष = सभापति

→ कार्य = लोकसभा व राज्यसभा के दैनिक कार्यों का निर्धारण करना

⑤ विभागीय समितियाँ -

→ इनकी शुरुआत अमेरिका से हुई।

→ भारत में इनके लिए 1989 ई. में कानून बनाया गया।

→ 1993 ई. में 17 विभागीय समितियाँ स्थापित की गईं।

→ 2004 ई. में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। (गठन)

→ एक समिति में सदस्य = 31

21 लोकसभा — 10 राज्यसभा

→ 16 समितियों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है।

→ 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति करता है।

→ एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य बन सकता है।

→ वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा ये समितियाँ करती हैं तथा इनकी समीक्षा के बाद ही अनुदान की माँगें पेश की जाती हैं।

→ एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा कर सकती है।

अस्थाई समितियाँ

→ इन समितियों का गठन उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है तथा उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद यह समाप्त हो जाती है।

e.g (i) किसी विधेयक की समीक्षा करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है।

(ii) संयुक्त संसदीय समिति

→ अब तक निम्न विषयों / मुद्दों के लिए संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया गया है -

(a) बोफोर्स घोटाला
(b) हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला
(c) शीतल पेय में कीटनाशक
(d) केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला
(e) 2G - घोटाला

समाप्ति प्रस्ताव

सामान्य समाप्ति
कंगारू ,,
गिलोटिन ,,

संसदीय शासन व्यवस्था	अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था
① इसमें कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं- (i) नाममात्र का (ii) वास्तविक	① कार्यपालिका का एक ही प्रमुख होता है-
② राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष अलग - अलग होते हैं।	② राष्ट्राध्यक्ष ही शासनाध्यक्ष होता है।
③ कार्यपालिका का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है । वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।	③ कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा वह बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होता ।
④ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं।	④ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। कार्यपालिका व विधायिका पूर्णरूप से अलग होते हैं।
⑤ कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।	⑤ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
⑥ विधायिका कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर नियंत्रण रखती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न व प्रस्ताव द्वारा	⑥ विधायिका का कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं होता है। क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है।

अनु. 120 संसद में प्रयोग में ली जाने वाली भाषाएँ

→ संसद में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है तथा सभापति की अनुमति से अन्य भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है।

अनु. 121 सदन में न्यायाधीशों के व्यवहार पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

अनु. 122 न्यायालय सदन के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अनु. 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति

न्यायपालिका

SC

→ SC की स्थापना 28 Jan. 1950 ई. को गई।

→ इसने Privy council व Federal Court (संघीय न्यायालय) की जगह ली।
अपीलीय न्यायालय (Privy council)
परि. (संघीय न्यायालय)
Federal Court ↓ 1935 Act
केंद्र व राज्य
राज्य व राज्य } आपसी विवाद

अनु. 124 एक मुख्य व 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान
(संसद इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है)

* वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या = 1 + 30

→ न्यायाधीशों की नियुक्ति -

* राष्ट्रपति करता है (मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर)

× प्रथम न्यायाधीश वाद - 1982 ई.

→ SC ने निर्णय दिया कि परामर्श के दौरान के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।

× द्वितीय न्यायाधीश वाद - 1993 ई.

→ इस निर्णय में SC ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया

प्रथम न्यायाधीश वाद में परामर्श शब्द की व्याख्या की गई।

* परामर्श का तात्पर्य है - विचारों का आदान-प्रदान

* अर्थात् CJI के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

अत: पहले की भाँति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।

द्वितीय न्यायाधीश वाद - 1993 ई.

→ इसमें SC ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया तथा माना कि परामर्श का अर्थ केवल विचारों का आदान-प्रदान नहीं है बल्कि यह बाध्यकारी है।

→ लेकिन ये सलाह CJI व SC के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा दी जानी चाहिए।

→ SC के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही CJI बनाया जएगा।

तृतीय न्यायाधीश वाद - 1998 ई.

→ इसमें SC ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति CJI व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह से SC के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।

→ यदि इस सलाह से कॉलेजियम के 2 सदस्य असहमत हैं तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

→ ~~इस निर्णय में SC ने पहली बार कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया।~~

→ यदि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह को नहीं मानता है तो उसे उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

☆ कॉलेजियम सिस्टम की प्राय: आलोचना की जाती है और माना जाता है कि यह एक बन्द व्यवस्था है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि जिनके नाम का सुझाव दिया जाता है उसके आधार या चयन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

* इस पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगता है।
* कुछ ही जातियों का SC पर वर्चस्व है।
* SC के न्यायाधीशों में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक व महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

इन कारणों से इसकी आलोचना की जाती है।

→ 99th CA के द्वारा NJAC (Nation Judicial Appointment commission / राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का गठन किया गया था जिसमें 6 सदस्यों का प्रावधान था [CJI

- 2 SC के वरिष्ठतम न्यायाधीश
- विधि मंत्री
- 2 अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाएगी -

• तीन सदस्यीय समिति के सदस्य

(i) CJI
(ii) PM
(iii) लोकसभा में विपक्ष का नेता

→ लेकिन SC ने NJAC को शून्य घोषित कर दिया।

→ SC ने माना कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान का बुनियादी ढाँचा है।

SC के न्यायाधीशों की योग्यताएँ :-

① HC में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो

या

② HC में 10 वर्ष तक वकील रहा हो

या

③ राष्ट्रपति की नजर में विख्यात विधिवेत्ता हो

कार्यकाल - 65 वर्ष की आयु तक

हटाने की प्रक्रिया -

कारण -

① सिद्ध कदाचार (Proved misbehaviour)

② असक्षमता

→ प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

→ 100 / 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
लोक सभा राज्य सभा

→ प्रस्ताव को सभापति / अध्यक्ष अस्वीकार कर सकते हैं।
स्वीकार या

→ यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो पहले आरोपों की जाँच करवाई जाती है।

→ आरोपों की जाँच के लिए समिति का गठन किया जाता है।

→ समिति में 3 सदस्य होते हैं -

(i) CJI या SC का न्यायाधीश

(ii) HC का मुख्य न्यायाधीश

(iii) विख्यात विधिवेत्ता

→ यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव को पहले सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।

→ इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है।

→ दूसरे सदन में भी इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।

→ राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाता है।

<u>अनु. 125</u> न्यायाधीशों के, वेतन व भत्ते

→ CJI = 280000

→ अन्य न्यायाधीश = 250000

→ पेंशन = 50 %

अनु. 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

→ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

अनु. 127 तदर्थ न्यायाधीश (Ad. hoc Judge)

→ मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर HC के न्यायाधीश को जो कि SC का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

→ इसमें उस न्यायाधीश तथा सम्बन्धित HC के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेनी होती है।

अनु. 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति

→ यदि SC में कार्य का बोझ अधिक है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से CJI SC या किसी HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति होनी चाहिए।

→ इसकी (पदनाम) आधिकारिता SC न्यायाधीश की भाँति होगी लेकिन SC का न्यायाधीश पदनाम धारण नहीं करेगा।

→ इसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है।

अनु. 129 SC क'

SC की आधिकारिता

① आरम्भिक अधिकारिता - Art. 131

→ वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे SC में होती है। अर्थात् इन मामलों की सुनवाई अन्य न्यायालय नहीं कर सकते।

e.g. केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद

e.g. दो राज्यों के मध्य विवाद

अपवाद -

(i) संविधान पूर्व की सन्धियों व समझौते से सम्बन्धित विवाद
(↳ 26 Jan. 1950 से पहले)

(ii) किसी सन्धि या समझौते में पहले से ही यह प्रावधान हो कि SC इसकी सुनवाई नहीं कर सकता।

(iii) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद (Art. 262)

(iv) वित्त आयोग को दिए गए मामले

(v) केंद्र व राज्य के मध्य सामान्य वाणिज्यिक विवाद

(vi) केंद्र व राज्यों के मध्य कुछ खर्चों से सम्बन्धित समायोजन

(vii) " " " " " क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित विवाद

② रिट अधिकारिता -

③ अपीलीय अधिकारिता

→ HC व अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध SC में अपील की जा सकती है।

→ अनु. 132 संवैधानिक मामले

* यदि HC निर्णय देता है तथा साथ ही वह इस बात का प्रमाणपत्र भी देता है कि उस केस में विधि का सारवान प्रश्न निहित है (substantial que.)

आपराधिक ⇒ लड़ाई, हत्या, लूट

दीवानी
↓
विवाह, तलाक, सम्पत्ति, वसीयत, उत्तराधिकार, गोद लेना, राजस्व, Tax

2 - divisional bench
3 - complete bench
5 - constitutional "

जिसकी व्याख्या SC द्वारा की जानी चाहिए।
के लिए संविधान

- ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है।
- संवैधानिक पीठ में min. 5 न्यायाधीश हो सकते हैं।

→ दीवानी मामले (अनु. 133)

* यदि HC अपना निर्णय देने के साथ ही यह प्रमाणपत्र देता है कि इस केस में लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न निहित है तथा इसकी व्याख्या SC के द्वारा की जानी चाहिए।

Judicial मजिस्ट्रेट
⇓
Chief Judicial मजिस्ट्रेट
⇓
Session court
⇓
HC

→ आपराधिक मामले (अनु. 134)

* यदि HC अपना निर्णय देने के साथ अपील करने का प्रमाणपत्र देता है तो SC में अपील की जा सकती है। लेकिन कुछ मामलों में बिना प्रमाणपत्र के भी अपील हो सकती है।

* (i) यदि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी को बरी कर दिया है लेकिन HC ने उसे 10 वर्ष या अधिक की सजा दे दी है [1973 में]

(ii) यदि HC अधीनस्थ न्यायालयों से किसी केस को मँगवाकर सुनवाई करता है तथा इसमें 10 वर्ष या इससे अधिक की सजा देता है [1973 में प्रावधान]

→ अनु. 136

* अपील के लिए SC की विशेष इजाजत

- SC अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए इजाजत दे सकता है।
- सभी प्रकार के न्यायालयों व अधिकरणों के वाद
- सभी प्रकार के वाद (आपराधिक, दीवानी व संवैधानिक)

• निर्णय दे दिया गया हो या विचाराधीन हो

✱ लेकिन सैनिक न्यायालय के मामले में यह लागू नहीं होता।

④ अभिलेखीय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना

→ SC द्वारा दिए गए निर्णयों की अन्य न्यायालय समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते बल्कि उनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

→ यदि कोई SC के आदेशों की अवमानना करता है तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।

→ SC इसके लिए 6 माह की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दे सकता है।

⑤ परामर्श की अधिकारिता- (अनु. 143)

→ राष्ट्रपति किसी मामले में SC से सलाह ले सकता है (लोक महत्व या विधि से सम्बन्धित)

→ संविधान पूर्व के सन्धि, समझौते या करार से सम्बन्धित सलाह माँगी जाती है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है।

→ अन्य मामलों में SC सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।

→ SC द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है।

⑥ न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता -

→ SC विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधेयकों व कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है और यदि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो तो इन्हें शून्य घोषित कर सकता है।

→ यद्यपि संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन अनेक अनु. अप्रत्यक्ष रूप से SC को ये शक्ति देते हैं।

e.g. अनु. 13
32
131
132
133
134
136
143
145
226
246
256

(विधि)

⑦ SC अन्य न्यायालयों के लिए नियम-विनियम बना सकता है तथा ये नियम अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है [अनु. 141]

अनु. 124
125 वेतन
126 कार्यकारी CJI
127 तदर्थ न्यायाधीश
128 सेवानिवृत्त " "
129 अभिलेखीय न्यायालय
130 स्थान
131 आरम्भिक
132 संवैधानिक मामले
133 दीवानी मामले
134 आपराधिक अपील
135 संघीय न्यायालय
136 अपील की इजाजत
137 रेफरीवाल
138 संसद की SC की अधिकारिता में वृद्धि

अनुषांधक उद्योग - for help with main factory

139(A) मुकदमों का हस्तानान्तरण
139 रिट अधिकारिता
140 अनुषंधिक शक्तियाँ, → छोटी मोटी और शक्तियाँ for अन्य शक्ति को लागू
141 अन्य न्यायालय के लिए विधि
142 पूर्ण न्याय की अवधारणा
143 परामर्श
144 विधिक अधिकारी व नागरिक अधिकार सहायक के रूप में
145 अपने नियम स्वयं बनाएगी
146 अन्य अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करना, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते
147 निर्वचन

77 → कार्यपालिका
118 → विधायिका
145 → न्यायपालिका

संसद में 145 के SC नियम है।

HC

→ 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई -
① कलकत्ता
② Bombay
③ मद्रास

→ 1866 में इलाहबाद HC की स्थापना की गई।
→ 1947 में सभी प्रान्तों (11) में HC थे।

अनु. 214 प्रत्येक राज्य में एक HC होगा।

* 7th CA - एक से अधिक राज्यों के लिए एक HC हो सकता है।

→ वर्तमान में 25 HC है।
→ 2013 में 3 HC की स्थापना की गई : मणिपुर
त्रिपुरा
मेघालय

→ दिल्ली एकमात्र U.T. है जिसका अपना HC है।

→ गुवाहाटी HC : 4 राज्य (Assam
Nagaland
Mijorum
Arunachal Pradesh)

→ Bombay HC : MH
Goa
दादर व नागर हवेली
दमन व दीव

→ Punjab HC : Punjab
Haryana
Chandigarh

→ मद्रास HC : तमिलनाडु
पुदुचेरी

→ Calcutta HC : WB
A & N द्वीप समूह

→ Kerala HC : Kerala
लक्षद्वीप

→ Sikkim HC : Sikkim

⋮

HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति -

→ नियुक्ति = राष्ट्रपति द्वारा

* CJI व SC के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श पर consult
* इसके साथ ही सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल तथा HC के CJ से भी परामर्श करता है।

→ शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।

→ योग्यता -

① किसी भी HC में 10 Y तक वकालत की हो

या

② 10 Y तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो

* प्रख्यात विधिवेत्ता की शर्त यहाँ नहीं है।

→ कार्यकाल = 62 Years

→ हटाने की प्रक्रिया -
SC के Judge के समान

→ HC की अधिकारिता -

① आरम्भिक अधिकारिता -

(i) विवाह, तलाक, वसीयत, कम्पनी मामले, न्यायालय की अवमानना आदि की सुनवाई सीधे HC करता है।

(ii) सांसदों तथा विधायकों के चुनाव सम्बन्धी विवाद

(iii) राजस्व या राजस्व संग्रहण से सम्बन्धित मामले

(iv) मूल अधिकारों के हनन से सम्बन्धित मामले

(v) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले जिनमें संविधान की व्याख्या आवश्यक हो।

(vi) कलकत्ता, Bombay, मद्रास व दिल्ली HC के पास एक सीमा से अधिक (सम्पत्ति) के दीवानी मामले सुनने की अधिकारिता है।

★ 1973 से पहले कलकत्ता, Bombay व मद्रास HC के पास आपराधिक मामलों में भी आरम्भिक अधिकारिता थी।

② अपीलीय अधिकारिता -

→ दीवानी मामले : इसमें प्रथम अपील व द्वितीय अपील दोनों की अधिकारिता है।

* प्रथम अपील = जिसमें तथ्यों का प्रश्न (सबूतों तथा गवाहों का सत्यापन) तथा विधि का प्रश्न दोनों निहित हो

* द्वितीय अपील = जिसमें केवल विधि (कौनसा कानून कितनी सजा) का प्रश्न निहित हो

→ आपराधिक मामले :

* यदि किसी को 7 Y या अधिक की सजा दी गई है तो इसके लिए HC में अपील की जा सकती है।

* मृत्युदण्ड के सभी मामलों में HC से पुष्टि करवाना आवश्यक है।

→ एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध खण्ड पीठ में अपील की जा सकती है।

③ रिट अधिकारिता [Art. 226]

④ अभिलेखीय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना

⑤ न्यायिक पुनरावलोकन

* HC संसद तथा राज्य विधानमण्डल दोनों के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की समीक्षा कर सकता है।

⑥ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम-विनियम बनाता है तथा उन पर नियंत्रण रखता है तथा समय-समय पर निरीक्षण करता है।

अधीनस्थ न्यायालय -

Civil Court
- District Judge Court
- ⇑
- Subordinate Judge Court
- ⇑
- Munsiff Court

HC

criminal court
- Session Court
- ⇑
- Chief Judicial Majistrate Court (7Y)
- ⇑
- Judicial Majistrate Court (3Y)

ग्राम न्यायालय -

→ इसके लिए 2008 ई. में संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया।

→ 2009 ई. में यह लागू हुआ।

→ इसका उद्देश्य = ग्राम पञ्चायत स्तर पर भ्रमणशील न्यायालय स्थापित करना ताकि न्याय तक सभी लोगों की पहुँच सुनिश्चित हो सके।

→ इसकी स्थापना = राज्य सरकार द्वारा
* लेकिन HC की अनुमति से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

→ यह न्यायालय दीवानी तथा आपराधिक दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई कर सकता है।

→ एक माह के भीतर इसके निर्णय के विरुद्ध Session Court में अपील की जा सकती है।

→ इसमें Plea Bargaining की अनुमति दी गई है।

Plea bargaining -

* यह अमेरिकी अवधारणा है।
* इसमें न्यायालय के बाहर ही दोनों पक्षों के मध्य समझौता करवाया जाता है।
* 2005 ई. में भारत में इसकी अनुमति दी गई।
* इसके लिए Criminal Procedure Code में इसके लिए संशोधन किया गया। लेकिन निम्नलिखित मामलों में Plea bargaining की अनुमति नहीं है -

(i) जिनमें (वे मुकदमे) 7 y से अधिक सजा का प्रावधान हो
(ii) देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के विरुद्ध किए गए अपराध
(iii) महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध

लोक अदालत -

→ 1985 ई. में SC के न्यायाधीश पी. एन. भगवती ने लोक अदालत का गठन किया।

→ 1987 ई. में संसद ने Legal Service Authority Act पारित करके लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया।

→ निम्नलिखित के द्वारा लोक अदालत की स्थापना की जा सकती है :-

(i) Legal Service Authority of SC
(ii) HC
(iii) State govt.

→ लोक अदालत में लम्बित पड़े मुकदमों की सुनवाई की जाती है।

→ इसमें दीवानी मुकदमों को लिया जाता है।

→ दोनों पक्षों की सहमति के बाद लोक अदालत सुनवाई करती है।

→ लोक अदालत में वकील नहीं होता तथा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।

→ दोनों पक्षों के आपसी समझौते से निर्णय लिया जाता है।

→ लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

न्यायिक सक्रियता -

→ न्यायिक सक्रियता को प्रायः 2 (दो) अर्थों में समझा जाता है :-

(i) सकारात्मक न्यायिक सक्रियता

(ii) नकारात्मक " "

(i) सकारात्मक न्यायिक सक्रियता :-

* जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त सक्रियता दिखाती है तथा अपने कार्यों को अधिक कुशलता व शीघ्रता से सम्पन्न करती है।

* समाज में अपनी सकारात्मक भागीदारी को बढ़ाती है।

* भारतीय न्यायपालिका के स्वघोषित आदर्श थे -

(a) न्याय माँगने वाले को न्याय दिया जाएगा

(b) प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का न्याय माँग सकता है

(c) न्याय माँगने के लिए न्यायपालिका की निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

→ 1979 ई. में SC के न्यायाधीश P.N. भगवती तथा V.R. कृष्णा अय्यर ने पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया। अर्थात् जनता के हितों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।

→ कालान्तर में न्यायपालिका ने पोस्ट कार्ड को भी PIL में स्वीकार करना आरम्भ किया।

→ समाचार-पत्र में छपे समाचार को PIL के रूप में स्वीकार किया तथा प्रसंज्ञान लेते हुए अन्य बातों को भी PIL के रूप में स्वीकार करना (su moto) आरम्भ किया।

→ अतः अब न्याय माँगने के लिए न्यायपालिका की निश्चित प्रक्रिया का पालन भी आवश्यक नहीं है।

→ न्यायपालिका ने अनेक पुरानी विधियों की समीक्षा करते हुए उनकी आधुनिक मूल्यों व वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप व्याख्या की जो कि सामाजिक गतिशीलता के लिए आवश्यक है।

(ii) <u>नकारात्मक न्यायिक सक्रियता</u> -

→ यदि न्यायपालिका अतिरिक्त सक्रियता दिखाती है तथा विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है।

→ चूँकि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या, न्यायिक पुनरावलोकन व अनु. 142 के तहत पूर्ण न्याय की शक्तियाँ दी हुई हैं।

→ अतः इनके तहत वह विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है।

eg संविधान में संशोधन विधायिका/संसद की शक्ति है लेकिन न्यायपालिका ने संविधान में अनेक संशोधन किए हैं।

e.g. (i) अनु. 21 में SC ने बदलाव कर दिया।

* विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक् प्रक्रिया बना दिया गया।

(ii) अनु. 124 में कॉलेजियम व्यवस्था को शामिल कर दिया गया है।

(iii) संविधान में कहीं भी बुनियादी ढाँचे की अवधारणा नहीं दी गई है लेकिन न्यायपालिका ने यह अवधारणा देकर संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया।

* यह अनु. 368 में बदलाव है।

→ इसी प्रकार से न्यायपालिका अनेक विधियों का निर्माण कर देती है तथा विधायिका की आन्तरिक प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करती है।

→ न्यायपालिका अनेक प्रशासनिक आदेश जारी करती है तथा प्रशासनिक (कार्यपालिका) कार्यों में हस्तक्षेप करती है।

e.g. (i) U.P. में लोकायुक्त की नियुक्ति करना
(ii) CBI को अनेक निर्देश दिए जाते हैं और उसके कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है।

न्यायिक सक्रियता के लाभ -

① न्यायिक सक्रियता के कारण PIL की अवधारणा को स्वीकार किया गया है जिससे गरीबों, अशिक्षितों व वञ्चितों की न्याय तक पहुँच सम्भव हुई है।

② सामाजिक बदलावों तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिला है।
e.g. धारा - 377, तीन तलाक, Right to privacy तथा अनु. 21 में किया गया विस्तार

③ पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका बढ़ी है।

④ न्यायिक सक्रियता के कारण लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ा है।

⑤ इसके कारण संविधान का बचाव हो सका है।

* अब कोई भी दल भारी बहुमत लाकर संविधान में बदलाव नहीं कर सकता। मनमाने

⑥ इसके कारण विधायिका व कार्यपालिका पर नैतिक दबाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये पहले की तुलना में अधिक जवाबदेह हुए हैं।

⑦ विधायिका व कार्यपालिका जो कार्य नहीं कर पाती है या असफल रहती है, न्यायपालिका उन कमियों को पूरा करती है।

न्यायिक सक्रियता के दोष -

① यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में तीनों स्तम्भों के मध्य पर्याप्त सन्तुलन होना चाहिए तथा वास्तविक शक्तियाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।

② PIL के कारण न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या बढ़ गई है, कार्यभार बढ़ गया है। अतः समय पर न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है।

③ PIL के कारण लोकप्रिय व कम महत्वपूर्ण विषयों को अधिक स्वीकार किया जाता है। इसलिए अधिक महत्वपूर्ण व गम्भीर मुकदमों की उपेक्षा होती है।

④ पर्यावरण के नाम पर न्यायपालिका ने अनेक सरकारी व निजी परियोजनाओं पर रोक लगा रखी है जिससे देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

⑤ न्यायपालिकाविधायिका को अनेक आर्थिक सुधारों को लागू करने से रोकती है।

⑥ कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने के कारण इसके कार्यों में विलम्ब होता है तथा इसकी कार्यकुशलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आपातकाल

अनु. 352	अनु. 356	अनु. 360
राष्ट्रीय आपातकाल X	राज्य में राष्ट्रपति शासन X	वित्तीय आपातकाल ✓
आपात की उद्घोषणा ✓	राज्य में आपातकाल X	
	आपातकाल X	
	संवैधानिक तंत्र का विफल होना ✓	

[X] → संविधान में उल्लेख नहीं (लोकप्रिय नाम)
[✓] → संविधान में उल्लेख

राष्ट्रीय आपातकाल -

→ राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है।

→ तीन कारणों से इसकी घोषणा की जा सकती है :-

① युद्ध
② वाह्य आक्रमण
③ सशस्त्र विद्रोह (पहले इसकी जगह 'आन्तरिक अशान्ति' था)

→ मंत्रिमण्डल की लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है।

✱ 'मंत्रिमण्डल' तथा 'लिखित सलाह' का उल्लेख केवल इसी अनु. में है तथा 44th CA से ये जोड़े गए हैं।

→ उद्घोषणा के बाद 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए [44th CA से]

* पहले 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन का प्रावधान था।

→ यह एक बार में 6 माह तक लागू रहता है।

→ इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः विशेष बहुमत से अनुमोदित करना होता है।

* एक बार के लिए इसे 6 माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति -

→ राष्ट्रपति उद्घोषणा को कभी भी समाप्त कर सकता है।

→ लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त कर सकती है।

→ यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो 1/10 सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को आग्रह करें तो 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुलाएगा।

राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव -

विधायी प्रभाव -

① राज्यों की विधायी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात् संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

* ये कानून राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह तक लागू रहते हैं।

कार्यपालिका प्रभाव -

① संघ की कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है तथा ये निर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं।

वित्तीय प्रभाव -

① केंद्र सरकार करों में राज्य सरकार को दिए जाने वाले हिस्से में कटौती कर सकती है।

② राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को रोका जा सकता है।

③ केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है।

लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव -

① लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

② आपातकाल के समाप्त होने के बाद यह अवधि max. 6 माह हो सकती है।

मूल अधिकारों पर प्रभाव -

अनु· 358

अनु· 359

→ पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ई· में लागू किया गया जो 1968 ई· तक चला।

→ द्वितीय आपातकाल = 1971 ई· में

→ III " = 1975 ई· में

✱ II & III आपातकाल दोनों 1977 ई· में एक साथ समाप्त किए गए।

→ राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी क्षेत्र विशेष में भी लागू किया जा सकता है (44th CA से)

→ कार्यकाल 1 बार बढ़ाया गया (1967 से, 68)

राज्य में राष्ट्रपति शासन -

→ इस अनु. में 'आपातकाल' शब्द का प्रयोग नहीं है तथा 'राष्ट्रपति शासन' शब्द का उल्लेख नहीं है।

→ 'संवैधानिक तंत्र का विफल होना' शब्द का उल्लेख है।

→ इसके 2 आधार माने गए हैं :-

① यदि राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। (अनु. 366)

② यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। (अनु. 365)

→ अनु. 355

* केंद्र का यह उत्तरदायित्व है कि वह सभी राज्यों को आन्तरिक व बाह्य संकट से सुरक्षा प्रदान करे।

* अतः अनु. 355 के तहत ही केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने (ताकि बाह्य संकट से बचाव हो सके) तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने (ताकि राज्य में आन्तरिक संकट से बचाव हो सके) का आधार प्राप्त होता है।

* आपातकाल को लागू करने की शक्ति केंद्र को राज्यों की रक्षा के लिए दी गई है न कि राज्यों को कमजोर करने के लिए।

→ राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है, मंत्रिपरिषद् की सलाह से

→ 2 माह में संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए।

→ यदि दोनों सदन अनुमोदन कर देते हैं तो यह 6 माह तक (उद्घोषणा से) लागू रहता है।

→ 6 माह के बाद पुनः इसका अनुमोदन करना होता है।

→ 1 वर्ष तक यह लागू रह सकता है।

→ इसे एक वर्ष से अधिक निम्नलिखित दो कारणों से बढ़ाया जा सकता है :-

(i) यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो रखी हो

(ii) यदि चुनाव आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्यों में चुनाव नहीं करवाए जा सकते।

→ लेकिन किसी भी दशा में इसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव -

① राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है तथा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ संघ को प्राप्त हो जाती हैं।

② राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका का सञ्चालन करता है।

② राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के विधानमण्डल को भंग कर दिया जाता है।

* अब राज्य सूची के विषयों पर भी कानून संसद बनाएगी।

V.V.I. S.R. बोम्मई वाद - 1994 ई.

→ इसमें SC ने अनु. 356 के प्रयोग के लिए निर्देश (दिशा) दिए जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

(i) अनु. 356 का प्रयोग अन्तिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए

(ii) यदि राज्य में सही मायने में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है तब ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जानी चाहिए।

(iii) संवैधानिक तंत्र विफल होने के स्पष्ट तथा तथ्यात्मक प्रमाण होने चाहिए।

(iv) राष्ट्रपति शासन लगाने का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

(v) जब तक संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं करती है तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) यदि न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है। अर्थात् यदि न्यायालय राष्ट्रपति शासन लगाने को अनुचित मानता है या इसके कारणों को सही नहीं मानता है तो वह मंत्रिपरिषद् व विधानसभा को पुनर्स्थापित कर सकता है।

(vii) यदि लोकसभा के आम चुनावों में किसी अन्य दल की जीत हुई है तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता।

→ न्यायालय ने माना -
'BJP शासित सात राज्यों में, राष्ट्रपति शासन लगाना सही था।'

* ~~क्योंकि ये सरकारें धर्मनिरपेक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही थी~~ 1992 में तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का बुनियादी ढाँचा है।

→ अनु. 356 का प्रयोग दुर्भावना से नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात् यदि राज्य में विरोधी दल की सरकार है, इस कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

☆ अब तक सर्वाधिक (10 बार) राष्ट्रपति शासन का प्रयोग = मणिपुर
2nd = U.P (9 बार)
3rd =

* सबसे पहले इसका प्रयोग = पंजाब
* यहाँ 3 Y से ज्यादा भी रहा है।

वित्तीय आपातकाल -

→ यदि देश में आर्थिक सङ्कट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति में इसकी घोषणा की जा सकती है।

→ राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है।

→ 2 माह में संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाता है।

→ यह अनिश्चितकाल के लिए लागू किया जाता है।

प्रभाव -

① केंद्रीय करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में कटौती की जा सकती है।

② राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों में कटौती की जा सकती है।

③ केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है।

* जिनके वेतन सञ्चित निधि पर भारित हैं, उनमें भी कटौती की जा सकती है।

④ केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है।

☆ अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा <u>नहीं</u> की गई है।

केंद्र - राज्य सम्बन्ध

भाग - 11

अनु. - 245 to 263

→ "संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक सम्बन्ध"

विधायी सम्बन्ध - [अनु. 245 - 255]

अनु. 245

→ संसद द्वारा और राज्य की विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार

* संसद द्वारा बनाई गई विधि सम्पूर्ण भारत या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में / भाग में लागू की जा सकती है।
* विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में लागू
* संसद की विधि भारत से बाहर के क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है।

इसके अपवाद -

~~राष्ट्रपति यह अधिसूचना जारी कर सकता है कि~~

① राष्ट्रपति यह अधिसूचना जारी कर सकता है कि
(i) कोई संसदीय विधि या उसका भाग U.T. में लागू नहीं होगा।
(ii) राष्ट्रपति व राज्यपाल यह अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि संसदीय विधि या उसका कोई भाग अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

→ राष्ट्रपति चार U.T. क्षेत्रों में शान्ति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं :- A&N, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव। इस प्रकार बनाया गया विनियम, संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन U.T. के प्रदेशों के सम्बन्ध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है।

→ असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र (स्वायत्त जिलों) में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों), मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है।

अनु. 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु

→ इसके तहत संघ व राज्यों के मध्य विषयों का बँटवारा किया गया है जिनका उल्लेख 7th अनुसूची में किया गया है।

[संघ सूची
राज्य सूची
समवर्ती सूची]

अनु. 247 अच्छे प्रशासन के लिए संसद अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

अनु. 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद को दी गई हैं।

→ ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में नहीं है।

अनु. 249

→ राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है।

* यह कानून एक वर्ष तक लागू रहता है।

अनु. 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

→ यह कानून आपातकाल के समय लागू रहता है तथा आपातकाल समाप्त होने के बाद भी छः माह तक लागू रहता है।

अनु. 251 यदि राज्य सूची के विषय पर संसद व राज्य विधानमण्डल दोनों कानून बनाते हैं तथा इन कानूनों में विरोधाभास है तो संसदीय कानून लागू रहेगा।

अनु. 252 यदि 2 या अधिक राज्य केंद्र को आग्रह करे (राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए) तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

→ लेकिन यह कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा।

→ कालान्तर में कोई राज्य स्वयं को उस कानून से पृथक् कर सकता है।

अनु. 253 किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

अनु. 356 यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

अनु. 254 यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद व विधानसभा दोनों कानून बनाते हैं तथा उन कानूनों में विरोधाभास हो तो इस स्थिति में संसदीय कानून मान्य होगा।

अनु. 255 सिफारिशों और पूर्व मञ्जूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना

→ यदि किसी अधिनियम में राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्वानुमति का प्रावधान है तथा यह पूर्वानुमति नहीं ली जाती है तो केवल इस आधार पर अधिनियम अमान्य नहीं होगा।

☆ संघ

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि -
संघ राज्य सूची के विषयों पर अतिक्रमण कर सकता है लेकिन राज्य विधानमण्डल किसी भी स्थिति में संघ सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता।

अनु. 200 इसके तहत राज्यपाल राज्यविधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।

<u>प्रशासनिक सम्बन्ध</u>

→ निम्नलिखित मामलों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है :-

<u>अनु. 256</u> केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि वह संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को राज्य में लागू करे।

→ केंद्र सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों के साथ टकराव न हो [<u>अनु. 257</u>]

→ केंद्र सरकार राज्यों में रेलमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों व केंद्रीय परियोजनाओं के रखरखाव से सम्बन्धित निर्देश दे सकता है।

<u>अनु. 350'A'</u> केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य में रहने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आरम्भिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाए।

अनु. 347 यदि किसी राज्य में किसी विशेष भाषा का प्रयोग करने वाला वर्ग रहता है तथा ये लोग राष्ट्रपति से माँग करते हैं कि उनकी भाषा का प्रशासन में प्रयोग किया जाए तथा राष्ट्रपति उनकी माँग से सन्तुष्ट है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि उस भाषा का प्रयोग प्रशासन में किया जाए क्षेत्र विशेष में।

अनु. 339 केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह SC/ST के कल्याण के लिए व विकास के लिए विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बनाए व उनका क्रियान्वयन करे।

अनु. 244 केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए तथा उसे लागू करे।

अनु. 352 इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को सभी प्रकार के निर्देश दे सकती है।

अनु. 356 जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं।

अनु. 311 इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया जाता है।

→ ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।

→ राज्य सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती जबकि राज्यों का प्रशासन इनके द्वारा चलाया जाता है।

अनु. 275 इसके तहत केंद्र राज्यों को अनुदान देता है।

→ अनुदान देते समय केंद्र राज्य पर अनेक शर्तें थोपता है तथा इन शर्तों के माध्यम से वह राज्यों को निर्देश देता है।

→ राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र का प्रतिनिधि) करता है।

→ केंद्र राज्य के CM के विरुद्ध 'जाँच आयोग' बैठा सकता है।
(नियुक्त)

अनु. 263 अन्तर्राज्यीय परिषद्

* इसके गठन का प्रावधान है।
* पदेन अध्यक्ष = PM
* सदस्य = 6 Cabinet minister
  CM of all States
*
* कार्य = केंद्र व राज्य के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाना
  केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना

* 1990 ई. में पहली बार अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन हुआ था।

वित्तीय सम्बन्ध - [अनु. 264 - 300 'A'] भाग-12

अनु. 266 सञ्चित निधि व लोक लेखा

अनु. 267 आकस्मिक निधि

अनु. 268 वे कर जो केंद्र लगाता है पर राज्य वसूलते तथा प्रयोग में लेते हैं।

e.g. (i) Stamp duty
(ii) Excise duty on medicine
(iii) Excise duty on cosmatic items

अनु. 269 वे कर जो केंद्र लगाता है व वसूल करता है लेकिन 100% राज्यों को दे देता है।

e.g. (i) समाचार पत्रों पर बिक्री कर
(ii) " " " विज्ञापन कर
(iii) अन्तर्राज्यीय यात्रा व माल भाड़े
(iv) केंद्रीय बिक्री कर (यह GST लागू होने से समाप्त हो गया)

अनु. 269 'A' IGST

अनु. 270 वे कर जो केंद्र लगाता है तथा वसूल करता है तथा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को इसमें हिस्सेदारी दी जाती है।

e.g. अनु. 268, 269, 269 'A', 271 } में जिन करों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त सभी कर इस अनु. के अन्तर्गत आते हैं जिसमें राज्यों को हिस्सेदारी दी जाती है (42%)

e.g. Income Tax
Co-operate Tax (निगम कर)
Custom Duty (सीमा शुल्क)
GST
Gift Tax etc.

80th CA 1999 ई. निगम कर तथा सीमा शुल्क में भी राज्यों को हिस्सेदारी दिए जाने का प्रावधान किया। अर्थात् इन्हें भी अनु. 270 में शामिल किया गया।

* पहले ये दोनों कर अनु 271 में थे।

अनु. 271 वे कर जो केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है तथा केंद्र ही इनको प्रयोग करता है।

e.g. इसमें केवल cess व surcharge है।

अनु. 275 केंद्र राज्यों को अनुदान देता है।

अनु. 279'A' GST council का प्रावधान

अनु. 280 वित्त आयोग (FC)

→ राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में FC का गठन करता है जिसमें 1 अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं।

(i) आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ
(ii) लेखा सेवाओं का अनुभव
(iii) नागरिक सेवाओं का अनुभव
(iv) विधि विशेषज्ञ

केंद्र व राज्यों के मध्य विवादित मुद्दे :-

① राज्यपाल की नियुक्ति और उसको हटाने का तरीका
② राज्यपाल का भेदभावपूर्ण तथा दलगत राजनीति से प्रेरित व्यवहार
③ ~~राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना~~
④ राज्य के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना
⑤ राज्य में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करना
⑥ वित्तीय संसाधनों का भेदभावपूर्ण वितरण
* केंद्र के पास वित्तीय संसाधन अधिक हैं।
⑦ अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबन्धन
⑧ केंद्र CM के विरुद्ध जाँच आयोग बैठा सकता है।
⑨ राज्य सूची के विषयों पर संसद का अतिक्रमण
⑩ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग

प्रशासनिक सुधार आयोग - 1966 ई.

→ अध्यक्ष = मोरारजी देसाई

* कालान्तर में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया।
* अतः बाद में बने = K. हनुवन्तैया

→ 1969 ई. में इसने अपनी सिफारिशें दीं।

मुख्य सिफारिशें -

① अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाना चाहिए।

② निष्पक्ष व लोक सेवा में अनुभवी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए।

③ राज्यों को और अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए।

④ राज्यों को अधिक विधायी शक्तियाँ दी जानी चाहिए।

⑥ राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का अधिकार संघ के पास बने रहना चाहिए।

सरकारिया आयोग - 1983 ई.

→ 1987 ई. में इसने अपनी अनुशंसाएँ दीं।

→ अध्यक्ष = रंजीत सिंह सरकारिया

→ सिफारिशें = 247

मुख्य सिफारिशें -

① अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाना चाहिए।

② अनु. 356 का प्रयोग अन्तिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।

③ अखिल भारतीय सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए तथा नई अखिल भारतीय सेवाएँ सृजित की जानी चाहिए।

④ वित्तीय अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहनी चाहिए लेकिन शेष अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दे दी जानी चाहिए।

⑤ राज्य के विधेयक पर यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक देता है तो उसे कारण बताना होगा।

⑥ NDC का नाम परिवर्तित किया जाना चाहिए।
(National Development Council)

* National Economic and Development council किया जाना चाहिए।

⑦ जोनल काउन्सिलों को और अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए तथा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

⑧ राज्यपाल की नियुक्ति में CM से परामर्श किया जाना चाहिए तथा यह प्रावधान संविधान में जोड़ा जाना चाहिए।

⑨ बिना किसी ठोस कारण के राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए।

⑩ निगम कर में राज्यों को हिस्सा दिया जाना चाहिए।

⑪ राज्यों में केंद्रीय बल तैनात करने की शक्ति यथावत् रहनी चाहिए।

⑫ संसद के अनुमोदन के बाद ही CM के विरुद्ध जॉच आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

⑬ 'त्रिभाषा फॉर्मूला' अपनाया जाना चाहिए।

⑭ भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

⑮ समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पूर्व राज्यों से परामर्श करना चाहिए।

⑯ विधानसभा में बहुमत होने की स्थिति पर राज्यपाल सरकार को भंग नहीं करे।

⑰ राज्यसभा की भूमिका यथावत् रहनी चाहिए तथा राज्यों के पुनर्गठन में केंद्र की शक्ति में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

पुंछी आयोग

→ अध्यक्ष = मदन मोहन पुंछी

→ अनुशंषाएँ = 310

सिफारिशें -

① सूची III में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने।

② राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में max. संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को 'हस्तान्तरित विषयों' के मामलों में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र - राज्य सम्बन्धों की पूँजी है।

③ केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकारों के सम्बन्ध में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में नीतियों की समरूपता के लिए नितान्त आवश्यक हैं।

④ समवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित मामलों के प्रबन्धन के लिए अन्तर-राज्य परिषद् को सतत् अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए।

⑤ राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनु. 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के सम्बन्ध में निश्चय करने के लिए भी प्रयोज्य बनाया जा सकता है।

⑥ संसद को सूची I की प्रविष्टि 14 से सम्बन्धित विषय (समझौता करना तथा इसे संसदीय अधिनियम द्वारा लागू कराना) पर कानून बनाना चाहिए जिससे कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शान्ति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों की संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाधा नहीं हो सकती।

⑦ सन्धियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय-समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए।

⑧ राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए-

(i) उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए।

(ii) उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।

(iii) उसे एक असम्बद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति से नजदीकी तौर पर न जुड़ा हो।

(iv) उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यत: भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में।

⑨ राज्यपालों के लिए पाँच साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होनी चाहिए।

⑩ राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए।

⑪ अनु. 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता कि वह मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे।

* वास्तव में विवेकाधिकार के उपयोग का दायरा सीमित है और इस सीमित दायरे में भी राज्यपाल का कार्य एकपक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए।
* उसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित नेकनीयती द्वारा प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा सन्तुलित होना चाहिए।

(12) किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के सम्बन्ध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह में निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे।

(13) जहाँ त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में CM की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परम्पराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएँ।

* ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं :-

(i) विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

(ii) चुनावपूर्व गठबन्धन की स्थिति में इस गठबन्धन को एक दल मानना चाहिए और यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबन्धन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

(iii) यदि किसी दल अथवा चुनावपूर्व गठबन्धन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल को CM का चयन निम्नलिखित प्राथमिकता चरण में करना चाहिए।

(a) चुनावपूर्व गठबन्धन वाले दलों का समूह जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है।

(b) वह सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा हो।

(c) चुनाव पश्चात् का गठबन्धन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं।

(d) चुनाव पश्चात् का गठबन्धन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तथा शेष सरकार से बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं।

(14) जहाँ तक किसी CM को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को CM को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

(15) राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्यमंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए। यदि मंत्रिमण्डल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है।

(16) राज्यपालों को वि.वि. के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परम्परा का अन्त होना चाहिए।

* उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होना चाहिए।

(17) जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है और इससे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप्प पड़ जाता है तब अनु. 355 के अन्तर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्वों के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए।

* साथ ही अनु. 356 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 'राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता' को दुरुस्त करने तक ही सीमित रहना चाहिए।

(18) जहाँ तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनु. 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न है, S.R. बोम्बई बनाम भारतीय संघ (1994) के मामले में SC द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में

दिए गए निर्देशों को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है।

* इससे राज्यों के मामले में सम्भावित सन्देह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा जिससे कि केंद्र - राज्य सम्बन्ध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

(19) अब जबकि अनु. 352 तथा 356 के अन्तर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं और इसे अन्तिम उपाय के रूप में ही उपयोग किए जाने का प्रावधान है और अनु. 355 के अन्तर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संघ का है।

* यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में संवैधानिक एवं वैधानिक रूप-रेखा बनाई जाए लेकिन इसमें अनु. 352 व 356 के अन्तर्गत आत्यंतिक कदम उठाने की अनिवार्यता न हो।

* इस रूपरेखा (Frame work) को 'स्थानिक आपातकाल' के रूप में उपयोग करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे तथा विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े जबकि केंद्र सरकार इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट तथा स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करे।

* अनु. 355 (सपठित 7th अनुसूची के अन्तर्गत सूची 1 की प्रविष्टि 2A तथा सूची 2 की प्रविष्टि 1) के अन्तर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है।

(20) अन्तर्राज्यीय परिषद् को अन्तः राज्यीय एवं केंद्र - राज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनु. 263 में समुचित संशोधनों की आवश्यकता है।

(21) क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए तथा बैठकों का एजेण्डा सम्बन्धित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों की सुसंगतता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

* एक मजबूत अन्तर्राज्यीय परिषद् का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में भी कार्य कर सकता है।

(22) वित्तीय मामलों में अन्तर राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है।

* दूसरे क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के संदर्शों (models) के सांस्थानिकीकरण की आवश्यकता है।

* CMs का एक फोरम जिसकी अध्यक्षता चक्रानुक्रम से एक CM करें, के बारे में भी विचार किया जा सकता है जिससे कि ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में समन्वित नीतियाँ लागू की जा सकें।

(23) स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरी तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए।

(24) राज्यों के प्रातिनिधिक फोरम के रूप में Second Chamber के गठन एवं कार्य में बाधक कारकों को हटाना चाहिए अथवा संशोधित करना चाहिए।

* इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की जरूरत हो तो वह भी करना चाहिए।

* वास्तव में राज्यसभा में केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी तथा प्रशासी सम्बन्धों को लेकर मतभेद के बिन्दुओं का स्वीकार्य हल निकालने की असीमित क्षमता है।

(25) राज्यों के बीच सत्ता सन्तुलन वाञ्छनीय है और यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर सम्भव हो सकता है।

* इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों को सीटों की समानता बिना उनकी जनसंख्या का ध्यान रखे किया जा सकता है।

(26) स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने देने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व का विषय क्षेत्र उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होना चाहिए।

(27) भविष्य में सभी केंद्रीय विधायन, जो राज्यों की संलग्नता की माँग करते हैं, में लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित है। पहले से वर्तमान केंद्रीय विधायन जिनमें की राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए जिससे कि केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके।

(28) प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन वर्षों पर बिना विलम्ब किया जाना चाहिए और तीन वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

(29) व्यवसाय कर की वर्तमान हदबन्दी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए।

(30) अनु. 268 में उल्लिखित करों से और अधिक राजस्व प्राप्त करने की सम्भावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

* इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को सन्दर्भित कर देना चाहिए अथवा इस मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए।

(31) अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधायनों का एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए तथा इन निकायों की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों / राज्य विधायिकाओं के समक्ष रखना चाहिए।

(32) वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को केंद्र तथा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से सन्दर्भित करना चाहिए।

* वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (TOR) को अन्तिम रूप देने में राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(33) केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों तथा सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके।

(34) योजना एवं गैर-योजना खर्च में नजदीकी संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर-योजना खर्च के बीच अन्तर के मुद्दे को देखे।

(35) वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।

* वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा आवरित अवधियों के तालमेल से ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

(36) वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग को एक पूर्ण विभाग के रूप में रूपान्तरित कर देना चाहिए जो कि वित्त आयोगों के स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करे।

(37) योजना आयोग की वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए, केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों की प्रक्षेत्रीय योजनाओं के सूक्ष्म प्रबन्धन की कम।

(38) अनुच्छेद 307 (सपठित सूची 1 की प्रविष्टि 42) के अन्तर्गत अन्तर-राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

* इस आयोग में परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिकाएँ निर्णयकारी शक्ति के साथ अन्तर्निहित होनी चाहिए।

* एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अन्तिम तथा सभी राज्यों के साथ-साथ भारतीय संघ पर भी बाध्यकारी होना चाहिए।

* आयोग के निर्णयों से प्रभावित कोई पक्ष SC में अपील दायर कर सकता है।

★ आयोग ने अप्रैल, 2010 ई. में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

★ आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के अन्तर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जाँच करने तथा सम्बन्धित पक्षों की सांगोपांग समीक्षा के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि -

"सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) भारत की एकता, अखण्डता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है।"

परिसंघीय व संघीय शासन व्यवस्था में तुलना-

परिसंघीय संरचना Federal	संघीय संरचना Unitary
① इसमें लिखित संविधान होता है।	① इसमें लिखित या अलिखित संविधान हो सकता है।
② संविधान की सर्वोच्चता	② संविधान की सर्वोच्चता नहीं
③ संविधान शक्तियों का स्रोत होता है।	③ शक्तियों का स्रोत केंद्र होता है।
④ कठोर संविधान	④ लचीला संविधान
⑤ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं।	⑤ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं।
⑥ इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान होता है।	⑥ न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं
⑦ दोहरा संविधान	⑦ एकल संविधान
⑧ दोहरी विधायिका " कार्यपालिका " न्यायपालिका	⑧ एकल विधायिका " कार्यपालिका " न्यायपालिका
⑨ राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं [शक्ति का प्रवाह centre ← States]	⑨ केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है।
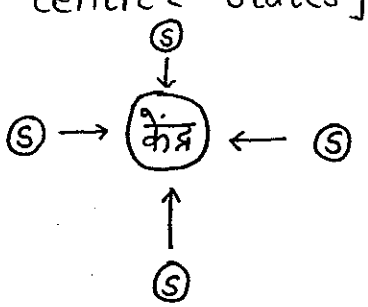	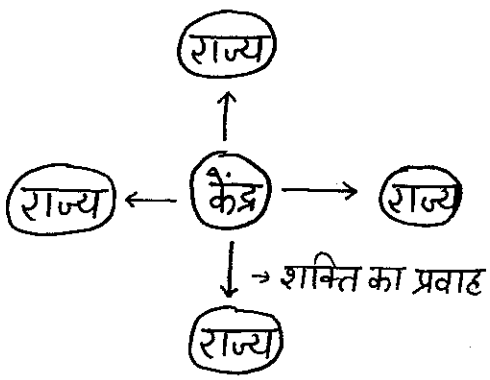
e.g. USA	e.g. U.K.
⑩ दोहरी नागरिकता	⑩ एकल नागरिकता

भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएँ -

① भारत का संविधान लिखित संविधान है।
② संविधान की सर्वोच्चता है।
③ संविधान शक्तियों का स्रोत है।
④ भारतीय संविधान कठोर है।
⑤ दोहरी कार्यपालिका तथा दोहरी विधायिका है।
⑥ संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन
⑦ केंद्र व राज्यों के मध्य स्पष्ट शक्तियों का बँटवारा

भारतीय संविधान की एकात्मकता की विशेषताएँ :-

→ निम्नलिखित विशेषताओं से यह सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय होने के साथ एकात्मक भी है :-

① एकल संविधान :- भारत में राज्यों के अलग से संविधान नहीं है।
* पूरे भारत के लिए एक संविधान है।

② एकल नागरिकता :- भारत में राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं दी जाती।

③ संघ के पास विधायी शक्तियाँ अधिक हैं।
* संघ सूची में 100 विषय हैं।
राज्य सूची में 61 विषय हैं।

④ अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास हैं।

⑤ समवर्ती सूची पर संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है। अर्थात् समवर्ती सूची के विषय पर यदि संघ के कानून व राज्यों के कानून के मध्य टकराव होता है तो संघ का कानून मान्य होगा।

⑥ संघ राज्य सूची के विषयों पर अतिक्रमण कर सकता है।

e.g. अनु. 249
250
252
253

⑦ राज्यपाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।

⑧ अनेक विषयों में संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है लेकिन राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका को निर्देश नहीं दे सकती।

e.g. अनु. 256
257
350 'A'
347
339
244
275
352
356 etc.

⑨ राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है तथा राज्यपाल की नियुक्ति संघ के द्वारा की जाती है।

⑩ संघ राज्यों को तोड़ सकती है, यह राज्यों की सीमा, क्षेत्र व नाम व बदलाव कर सकता है।

* राज्यों को U.T. बना सकता है।

⑪ अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबन्धन संघ के पास होता है।

⑫ निर्वाचन आयोग की नियुक्ति संघ के द्वारा की जाती है तथा राज्यों के विधानमण्डल के चुनावों का सम्पादन इसके द्वारा किया जाता है।

⑬ CAG की नियुक्ति संघ के द्वारा की जाती है तथा राज्यों के खातों का अंकेक्षण यही करता है।

⑭ एकल न्यायपालिका

⑮ आपातकालीन उपबन्ध

* आपातकाल के दौरान संघ की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं।

⑯ राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व
का राज्यसभा

* अमेरिका की भाँति सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है।

★ वास्तव में भारतीय संविधान एक अर्द्ध-परिसंघीय संविधान है। क्योंकि इसमें परिसंघीय व एकात्मक दोनों विशेषताएँ हैं।

→ Dr. B. R. अम्बेडकर के अनुसार :-
"भारतीय संविधान शान्तिकाल में Federal तथा आपातकाल में Union है।"

→ भारतीय संविधान में Federal शब्द का उल्लेख नहीं है। सभी जगह Union शब्द का उल्लेख किया गया है।

→ इसके बावजूद इसकी मूल प्रकृति Federal ही है।

→ इसीलिए सरकारिया आयोग, M.M. पुंछी आयोग ने भारतीय संविधान को Federal माना है तथा SC ने भी Federal व्यवस्था को संविधान का बुनियादी ढाँचा माना है।

वरीयता (Precedence)

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. PM
4. राज्यपाल (अपने राज्य में)
5. Ex-president & उप-प्रधानमंत्री
6. CJI & लोकसभा अध्यक्ष
7. Cabinet minister & भूतपूर्व PM & लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता & CM (अपने राज्य में) & नीति आयोग का उपाध्यक्ष

7.(a) भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

8. राजदूत व उच्चायुक्त & राज्यपाल तथा CM (राज्य से बाहर)
9. SC के जज

9(a). मुख्य निर्वाचन आयुक्त & UPSC अध्यक्ष & CAG

10. लोकसभा, व राज्यसभा का उपसभापति (उपाध्यक्ष) & राज्य मंत्री

11. महान्यायवादी (attorny general) & कैबिनेट सचिव & U.T. का उपराज्यपाल (L.G.)
12. सेनाध्यक्ष
13. विदेशी प्रतिनिधि / दूत
14. HC का CJ & विधानसभा अध्यक्ष तथा विधानपरिषद् का सभापति
15. राज्यों के कैबिनेट मंत्री & केंद्र का उपमंत्री & U.T. का CM

Official language (राजभाषा)

→ भाग - 17

→ अनु. 343 - 351

343
→ संघ की राजभाषा हिन्दी होगी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी तथा

* हिन्दी के लिए 'राष्ट्रभाषा' तथा 'मातृभाषा' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया।

→ हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है तथा यह किया जाता रहेगा जब तक कि संसद कोई नियम न बना दे।

* भारत की 40 % जनसंख्या हिन्दी बोलती है।

अनु. 344 हिन्दी के प्रशासन में उपयोग को बढ़ाने हेतु आयोग का गठन

→ इसके लिए 1955 ई. में आयोग का गठन किया गया था।

* इसके अध्यक्ष B.G. खैर थे।

* आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष G.V. पन्थ (गोविन्द वल्लभ पन्थ) थे

* 1960 ई. में आयोग का गठन नहीं किया गया।

अनु. 345 राज्यों की राजभाषा

→ राज्य किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में अपना सकते हैं।

→ एक से अधिक राजभाषा हो सकती है।

e.g. गुजरात में गुजराती तथा हिन्दी
गोवा में मराठी व कोंकणी

→ J & K की राजभाषा उर्दु थी।

→ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड की राजभाषा = English

अनु. 346 संघ व राज्यों के मध्य संवाद की भाषा

→ इसमें संघ की राजभाषा का प्रयोग किया जाता है।

→ राज्यों के मध्य आपसी संवाद के लिए संघ की राजभाषा का प्रयोग किया जाता है।

→ लेकिन दो या अधिक राज्य आपस में समझौता करके किसी अन्य भाषा को अपना सकते हैं।

अनु. 347 यदि किसी राज्य में किसी विशेष भाषा का प्रयोग करने वाला वर्ग रहता है तथा ये लोग राष्ट्रपति से माँग करते हैं कि उनकी भाषा का प्रशासन में प्रयोग किया जाए तथा राष्ट्रपति उनकी माँग से सन्तुष्ट हैं तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि उस भाषा का प्रयोग प्रशासन में किया जाए क्षेत्र विशेष में।

अनु. 348 SC, HC, संसद व राज्य विधानसभाएँ में पेश किए जाने वाले Act, नियम-विनियम, अध्यादेश आदि की भाषा English होगी।

→ लेकिन इसमें राजभाषा संशोधन अधिनियम - 1963 ई. द्वारा संशोधन/बदलाव किया गया।

→ SC की भाषा अभी भी English है जबकि राज्य की विधानसभा, HC etc. में अन्य भाषाओं के प्रयोग को मान्यता दी गई है [राज्यपाल द्वारा]

अनु. 349

<u>अनु. 350</u> व्यथा के निवारण के लिए ~~आवेदन~~ H कोई व्यक्ति राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है।

<u>अनु. 350'A'</u> प्रारम्भिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ

→ राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को आरम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए।

<u>अनु. 350 'B'</u> भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

→ इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

<u>अनु. 351</u> हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संविधान संशोधन

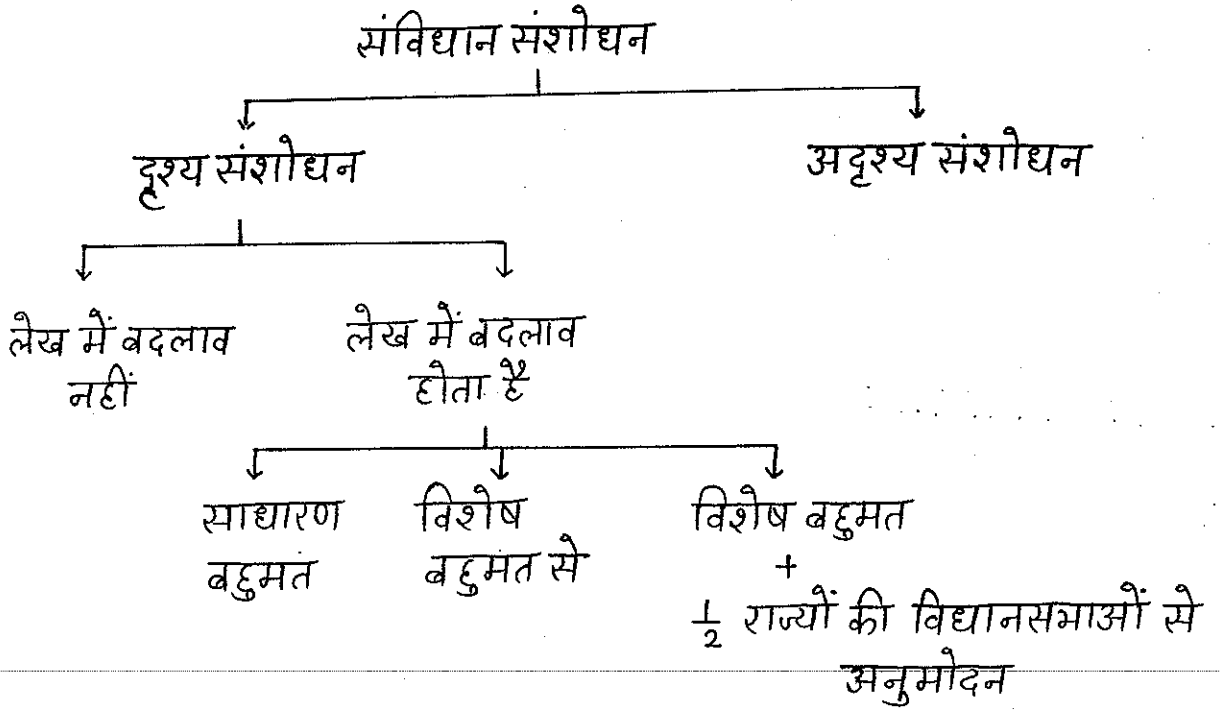

अदृश्य CA -

→ सामान्यतया जब SC संविधान की व्याख्या करता है तो वह संविधान के अनुच्छेदों को ही बदल देता है।

→ यद्यपि ये बदलाव संविधान में नजर नहीं आते।

e.g. (i) अनु. 21 को बदल दिया गया।

(ii) अनु. 124 " " " "

* उसमें कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान

(iii) अनु. 368 :- उसमें बुनियादी ढाँचे की अवधारणा जोड़ दी गई।

दृश्य CA :-

→ यह दो प्रकार का होता है :-

(i)

जिसमें लेख में बदलाव नहीं होता है -

e.g. अनु. 11 : जिसमें नागरिकता के प्रावधानों को संसद बदल सकती है। (निर्धारित कर)

अनु. 124 : SC में जजों की संख्या

जिसमें लेख में बदलाव होता है -

* यह तीन प्रकार से होता है -

(a) साधारण बहुमत से संशोधन -

e.g. (i) नए राज्य का गठन करना
(ii) राज्यों में विधानपरिषद् का गठन करना या विधानपरिषद् को समाप्त करना
(iii) 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th अनुसूची में बदलाव
(iv) SC के न्यायक्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना
(v) नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति
(vi) निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
(vii) राजभाषा का प्रयोग
(viii) संसद में गणपूर्ति, प्रक्रिया नियम तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

@ P.N. 10.2

(b) अनु. 368 के तहत CA -

* उपर्युक्त दिए गए CA के उदाहरण अनु. 368 के तहत CA की श्रेणी में नहीं रखे जाते।

* अनु. 368 के तहत दो प्रकार के CA होते हैं :-

(I) by the special majority

(II) विशेष बहुमत + $\frac{1}{2}$ राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन (साधारण बहुमत से)

→ निम्नलिखित मामलों में आधे राज्यों की विधानसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है -

① केंद्र व राज्यों के विधायी सम्बन्ध प्रभावित होते हों
② केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्ध प्रभावित होते हों
③ केंद्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध प्रभावित होते हों
④ राष्ट्रपति का निर्वाचन
⑤ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
⑥ SC व HC की आधिकारिता
⑦ अनु. 368 में बदलाव

★ संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

→ इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति का प्रावधान नहीं है।
→ दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
→ राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है (यह 24th CA द्वारा प्रावधान किया गया)
→ संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके बुनियादी ढाँचे के साथ - छेड़-छाड़ नहीं कर सकती।

महान्यायवादी -

→ भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 76(1) में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है।

→ महान्यायवादी के नियुक्ति = राष्ट्रपति द्वारा

→ इस पद की स्थापना = 1950 ई.

→ 1st महान्यायवादी = M.C. शीतलवाड़

→ वर्तमान " = K.K. वेणुगोपाल

→ कार्य -

① यह भारत सरकार के वैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

② भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग की तरफ से SC व HC में प्रतिनिधित्व / पैरवी करता है।

③ संसद में सरकार की तरफ से पक्ष रखना, संसद की बैठकों में हिस्सा लेता है [इसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं]

④ यह अनु. 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई सलाह को SC में रखता है।

⑤ यह अतिरिक्त महान्यायवादी तथा = सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति में भारत सरकार को सलाह देता है।

→ कार्यकाल = 3 वर्ष